लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

[खंड 35 में अंक 21 से 29 तक है / Vol. XXXV contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण

20 दिसम्बर, 1969 । 29 अग्रहायण, 1891 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
(iii)	पंक्ति 9, 'श्री हेम बरुआ' से पहले 'श्री नवल किशोर शर्मा' 'Shri Naval Kishore Sharma' का नाम भी पढ़िये ।
1	पंक्ति 1, 'अध्यक्ष महोदय' के स्थान पर 'उपाध्यक्ष महोदय' पढ़िये
1	पंक्ति 10, Mr. Speaker' के स्थान पर 'Mr. Deputy Speaker पढ़िये ।
2	पंक्ति 9, 'अप्राधिकृत के स्थान पर 'अनधिकृत 'पढ़िये ।
20	11 वीं पंक्ति में 'स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के सामने '7,973 'के स्थान पर '14,04,444 'पढ़िये ।
52	पंक्ति 35, Shri XX Naval Kishore Sharma' के स्थान पर ' Shri Naval Kishore Sharma पढ़िये ।

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 26, शनिवार, 20 दिसम्बर, 1969/29 अग्रहायण, 1891 (शक)

No. 26, Saturday, December 20, 1969/Agrahayana 29, 1891 (Saka)

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
सभा का कार्य	Business of the House		1—6
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक—	Comptroller and Auditor General (Duties, Powers and Conditions of Service) Bill—		
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये नियत समय को बढ़ाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee		6—7
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1969-70	Demands for Supplementary Grants (Railways), 1969-70		7—18
श्री सत्य नारायण सिंह	Shri Satya Narain Singh	..	7
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	..	8
श्री देवराव पाटिल	Shri Deorao Patil	..	8
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	..	8
श्री कामेश्वर सिंह	Shri Kameshwar Singh	..	8—9
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	..	9
श्री बे० कृ० दास चौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	..	9—10
श्री दत्तात्रेय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte	..	10—11
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	..	11
श्री रा० कृ० बिड़ला	Shri R. K. Birla	..	11—12
डा० सूर्य प्रकाश पुरी	Dr. Surya Prakash Puri	..	12
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	..	12—13
श्री सूरजभान	Shri Suraj Bhan	..	13
श्री प० गोपालन	Shri P. Gopalan	..	13
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	..	13—14
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma	..	14

विषय	Subjects	पृष्ठ/Pages
श्री वि० ना० शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	14
श्री गुरचरन सिंह	Shri Gurcharan Singh	15
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra	15
श्री अवधेश चन्द्र सिंह	Shri Awadesh Chandra Singh	15
श्री सीताराम केसरी	Shri Sitaram Kesri	15
श्री रो० ला० चतुर्वेदी	Shri R. L. Chaturvedi	15—16
विनियोग (रेलवे) संख्या 5 विधेयक, 1969—पुरःस्थापित तथा पारित किया गया	Appropriation (Railways) No. 5 Bill, 1969 Introduced and Passed ..	19
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1967-68	Demands for Excess Grants (General) 1967-68 ..	20—30
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	21
श्री उमानाथ	Shri Umanath ..	22
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	23
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	23—24
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	24
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prasad	25
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	25
श्री क० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	25—26
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	26—27
		28, 29—30
विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1969 पुरःस्थापित तथा पारित किया गया	Appropriation (No. 5) Bill, 1969— Introduced and Passed	31—32
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1969-70	Demands for Supplementary Grants (General) 1969-70	32—62
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	39
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	39—40
श्री रणंजीत सिंह	Shri Ranjeet Singh	40
श्री कृ० गु० देशमुख	Shri K. G. Deshmukh	41
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	41—43
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi ..	43—44
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	44—45
श्री पी० पी० एस्थोस	Shri P. P. Esthose ..	45—46

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्रीमती इला पालचौधरी	Shrimati Ila Palchoudhary	46—47
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	47—48
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswantham ..	48—49
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma ..	49—50
श्री मंगलाथुमाडोम	Shri Mangalathumadom	50
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	51—52
श्री क० मि० मधुकर	Shri K. M. Madhukar	52
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	53
श्री एम० मेघचन्द्र	Shri M. Meghachandra	54
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	54—55
श्री उमा नाथ	Shri Umanath	55—56
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	56—57
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	57
श्री राम चरण	Shri Ram Charan	57—58
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	58—62
विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1969 पुरःस्थापित तथा पारित किया गया	Appropriation (No. 6) Bill, 1969— Introduced and Passed	63—64
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (मनीपुर) 1969-70	Demands for Supplementary Grants (Manipur), 1969-70	64—65
मनीपुर विनियोग विधेयक, 1969 पुरःस्थापित तथा पारित किया गया	Manipur Appropriation Bill, 1969 Introduced and Passed	65—66
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (बिहार), 1969-70	Demands for Supplementary Grants (Bihar), 1969-70	66—75
श्री क० मि० मधुकर	Shri K. M. Madhukar	69—70
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह	Shri Ramshekhar Prasad Singh ..	70—71
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma ..	71
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal ..	72
श्री सत्य नारायण सिंह	Shri Satya Narain Singh ..	72
श्री मुद्रिका सिंह	Shri Mudrika Singh ..	72—73
श्री केदार पस्वान	Shri Kedar Paswan	73
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi ..	73—74

लोक-सभा
LOK SABHA

शनिवार, 20 दिसम्बर, 1969/29 अग्रहायण, 1891 (शक)
Saturday, December 20, 1969/Agrahayana 29, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 22 दिसम्बर, 1969 से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :—

(1) आज की कार्य-सूची में दर्ज किसी ऐसे सरकारी कार्य पर विचार, जो आज समाप्त न हुआ हो।

(2) स्थावर संपत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1969 पर विचार तथा पारित करना।

(3) गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति विधेयक, 1969 को संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव पर विचार।

(4) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1969, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, पर विचार तथा पारित करना।

(5) देश में तोड़-फोड़ और हिंसात्मक गतिविधियों के बारे में श्री प्रकाशवीर शास्त्री के प्रस्ताव पर आगे विचार।

(6) भारतीय सैनिक (मुकदमेबाजी) संशोधन विधेयक, 1969, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, पर विचार तथा पारित करना ।

(7) बीमा (संशोधन) नियम, 1969 में रूपभेद के लिये प्रस्तावों, जिनकी सूचना श्री मधु लिमये तथा अन्य सदस्यों द्वारा दी गई, पर विचार ।

जैसा कि सदस्यों को विदित है, निम्नलिखित विषयों पर अल्प-कालिक चर्चायें भी बुधवार, 24 दिसम्बर, 1969 को की जायेंगी :—

(1) तिलहन विशेषतया मूंगफली

(2) आंध्र प्रदेश में चक्रवात

(3) दिल्ली में अप्राधिकृत बस्तियां

(4) सीमेंट विनियंत्रण

(5) राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन

Shri Randhir Singh (Rohatak) : No time has been allotted to discuss the issue of Chandhigarh. It is not the question of the integrity of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh, but it is the question of integrity of the whole country. Some people are indulging in anti-national and anti-social activities in Punjab. Shri Baldev singh, Shri Gurdyal singh, and others are provoking the people. Workers are being sent to villages in Punjab to propagate against the Country. They are creating danger for the Country by doing so. At least two hours should be allotted for discussion on this issue before 24th.

श्री उमा नाथ (पुद्दुकोटै) : शिक्षा मंत्री को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्य के बारे में एक वक्तव्य अवश्य देना चाहिये । गत सत्र में दो निदेशकों ने त्याग-पत्र दिये थे और माननीय मंत्री से भेंट के बाद तीन और निदेशकों ने त्याग-पत्र दिये हैं । अतः स्थिति बहुत खराब हो गई है । शिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि सरकार समिति के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखेगी लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है । उक्त तीन निदेशकों के त्यागपत्र के बाद मैंने ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया । अतः शिक्षा मंत्री को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्यों के बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : माननीय विधि मंत्री ने बार-बार कहा है कि लोक सभा के लिये सामान्य निर्वाचन नहीं होंगे । लेकिन देश में इस बारे में बहुत असंतोष है । अतः मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें और बतायें कि सामान्य निर्वाचन के बारे में सरकार का क्या कार्यक्रम है ।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) ; Chandigarh issue is not a small matter. This issue has become more critical during the last few days. I, therefore, request you to kindly allot at least two hours for discussion on this issue.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : गृह-कार्य मंत्री की निजी थैलियां समाप्त करने के बारे में लोक सभा में घोषणा करनी चाहिये । निजी थैलियां समाप्त करने विषयक गैर-सरकारी संकल्प दूसरे सदन में पारित किया जा चुका है ।

माननीय मंत्री ने जमशेदपुर की हड़ताल के बारे में अभी तक वक्तव्य नहीं दिया है । माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में शीघ्र वक्तव्य देना चाहिये ।

प्रधान मंत्री को केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के बारे में वक्तव्य देना चाहिये जिनकी सेवा में 19 दिसम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण बाधा आ गई थी । अभी भी इससे 6 लाख केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी प्रभावित हैं । इसका उनकी पदोन्नतियों, वेतन वृद्धियों और छुट्टी आदि पर असर पड़ता है । तीसरे वेतन आयोग की नियुक्ति से पूर्व इन 6 लाख केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति की जानी चाहिये । प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त किया जाना चाहिये । इस हड़ताल का पूर्ण दायित्व प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया बोर्ड पर है ।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : केन्द्रीय सरकार द्वारा मैसूर सरकार को अकाल सहायता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दी गई सहायता का राज्य के ठेकेदारों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है । इसको रोकने के लिये वहां केन्द्रीय सरकार की कोई एजेंसी नहीं नहीं है । समझ में नहीं आता कि इस दुरुपयोग को देख कर भी केन्द्रीय सरकार किस प्रकार चुप है । क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि वह इस बारे में जांच करेगी ।

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : There is a news item published in 'National Herald' today to the effect that a plot has been hatched to assassinate Shrimati Indira Gandhi. I will request the Hon. Home Minister to kindly look into this matter and find out facts about it and see how this news has been printed. Otherwise it might create disturbances. It is reported that R. S. S. has a hand in it. **(Interruptions)**

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : This allegation is totally baseless. He should either prove it or withdraw it. **(Interruptions)**

Shri Suraj Bhan (Ambala) : The charges levelled by the Hon. Member are baseless. Appropriate action should be taken against that newspaper.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यदि माननीय सदस्य ऐसी बेबुनियाद बात करेंगे तो हम कैसे चुपचाप बैठ सकते हैं ? माननीय सदस्य एक वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्हें ऐसी अनुत्तरदायी बात नहीं कहनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची के बारे में अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है । मेरे विचार से इस मामले में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता । लेकिन मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे विवादास्पद प्रश्नों को न उठायें ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I would not have objected had the Hon. Member not given reference of the 'Patriot'.

We want that proper protection should be given to the Prime Minister. Such type of atmosphere should not be created in the Country. The Hon. Home Minister should look

into this matter and an appropriate action should be taken against the paper concerned. The Home Minister should make a Statement in this matter. Such a kind of news has been publishted in this newspaper for the fourth time. The Hon. Member should either substantiate what he has said or withdraw it.

श्री अ० सि० सहगल : यदि माननीय सदस्य अपने शब्द वापिस लेने को तैयार हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों को सभा में व्यवस्था बनाये रखने में मेरी मदद करनी चाहिये। उन्हें आपस में विवाद में नहीं पड़ना चाहिये।

श्री कंवर लाल गुप्त : उन्हें इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिये।

Shri Yajna Datt Sharma : It is a very serious charge. Such serious charges should either be proved on the floor of the House or withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य का यही व्यवहार रहा तो मुझे अगली मद को लेना पड़ेगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : उन्हें यह आरोप वापस लेना चाहिये क्योंकि यह निराधार है।

Shri S. M. Joshi (Poona) : There is a tendancy to keep the social legislations pending. My friend shri Madhu Limaye had written to the leader of the House to accommodate the special Marriages Bill, which was passed by Rajya Sabha in July, 1968, in this session.

I would also request that the cases against all the workers be withdrawn as has been suggested by Shri S. M. Banerjee.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : I would request that the question of atrocities perpetrated on Harijans after mid-term poll should also be included in the agenda.

Consequent upon heavy rains and devastating floods, the people of eastern districts of Uttar Pradesh are facing starvation. I had given notice of a motion to discuss this question and I request that the same may be included in the Agenda. The motion regarding giving three months' advance salary to the employees may also be put on agenda.

Shri Janeshwar Mishra (Phulpur) : The hon'ble Minister of Home Affairs is requested to make a statement regarding revocation of Prohibitory orders under Section 144 imposed within an area of four furlongs around Parliament House to enable **Samajvadi Yuvjan Sabha** to hold a demanstration.

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहत मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं सभा से अपील करना चाहता हूं कि हमें विभिन्न प्रश्नों में न जाकर केवल विधान कार्य तथा चर्चाओं तक ही सीमित रहना चाहिये ताकि सभा का समय व्यर्थ न जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने आधे घण्टे से अधिक समय इस चर्चा पर बिता दिया है। इसकी कोई सीमा होनी चाहिये। मैं पांच मिनट की और अनुममति दूंगा। यदि कोई माननीय सदस्य इन पांच मिनटों में न बोल सकें तो वह कृपा करके अपने सुझाव संसद्-कार्य मंत्री को भेज दें।

श्री समर गुह (कन्टाई) : पश्चिम बंगाल में हरिपाद में इस गांधी शताब्दी वर्ष में कुछ राजनीतिक दलों के सदस्यों ने महात्मा गांधी के चित्र का अपमान किया है और उसे नष्ट किया

है । मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस राष्ट्र-विरोधी कार्यवाही के बारे में वक्तव्य दें । दूसरे, हाल ही में कलकत्ता में आस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुये क्रिकेट मैच के दौरान भगदड़ में सात विद्यार्थी मारे गये थे । सरकार को इस पर भी एक वक्तव्य देना चाहिये ।

"कालान्तर" में मेरे विरुद्ध एक लेख प्रकाशित किया गया है । मैंने उस सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा था । मैं जानना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ ?

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : There is great discontentment in Punjab, Haryana and the whole country because Central Government have not yet taken any decision about Chandigarh. It would be better to have an opinion poll of the inhabitants of Chandigarh on the same lines on which it was held in Goa to dicide the issue once for all. This issue should be decided at the earliest to avoid tense situation prevailing in Punjab.

श्री जि० मो० विश्वास (बांकुरा) : 19 सितम्बर की हड़ताल के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के, विशेषकर रेलवे के बहुत से कर्मचारी अब भी निलम्बित हैं । हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध एक वक्तव्य दें ।

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : The consumption of fertilizers has declined by 25 percent, which have its repercussion on the production of foodgrains next year. The hon'ble Minister for agriculture should assure this House that efforts will be made to encourage the consumption of fertilizers next year.

श्री मोहिसिन (धारवाड़–दक्षिण) : मैसूर महाराष्ट्र सीमा विवाद के बारे में बड़ी अफवाहें फैल रही हैं । कहा जाता है कि बेलगांव नगर का विभाजन कर दिया जायेगा । इस सम्बन्ध में फजल अली आयोग अथवा महाजन आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिये। सरकार को इस समस्या को शीघ्र समाधान करना चाहिये ।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : तीन दिन पूर्व पोरबन्दर में हुये गोलीकाण्ड के बारे में एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये । दूसरी बात यह है कि सरकार को कोंकन तथा देश के अन्य पिछड़े हुये क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । तीसरी बात यह है हालांकि हिंदुओं में बहुविवाह के विरुद्ध कानून बनाया गया है फिर भी कुछ लोग एक से अधिक विवाह कर रहे हैं । हम इस बारे में स्पष्ट्रीकरण चाहते हैं कि इस मामले में सम्बन्धित विधान को वहां लागू क्यों नहीं किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में यदि कोई ढील दी गई है तो वह सारे देश पर लागू होनी चाहिये ।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : मैं श्री सोमानी का समर्थन करता हूं कि सरकार पोरबन्दर गोलीकांड के बारे में एक वक्तव्य दे ।

श्री अ० सिं० सहगल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने जो कुछ कहा था..**

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ आप कहेंगे, उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मुझे अनुमति दी जाये ।

****कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी कठिनाई को समझें । श्री बनर्जी ने आपकी बात कह दी है । आप सहयोग करें ।

श्री भोगेन्द्र झा : आप ने मुझे आश्वासन दिया था कि आप मुझे बुलायेंगे परन्तु आप ने मुझे बिठा दिया । जो लोग बिना अनुमति खड़े हो गये, उन्हें बोलने का अवसर मिल गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को रोकना नहीं चाहता परन्तु सभा का विचार है कि अब इस चर्चा को समाप्त करना चाहिए । यदि आप सब ये आश्वासन दें कि यह चर्चा दो या तीन मिनट में समाप्त हो जायेगी तो (**व्यवधान**) कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री गुरचरण सिंह : (फिरोजपुर) : **

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी समस्या यह है ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं समय नहीं मांगता परन्तु सभा को प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का पालन करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री झा से कहा था कि वह इस मामले को न उठायें क्योंकि मैं जानता था कि बहुत-सा समय नष्ट हो जायेगा । अगर आप सभी सहमत हैं तो मैं श्री झा को दो मिनट का समय दे देता हूं ।

Shri Bhogendra Jha : Today is the 33rd day of strike in Jamshedpur. It is understood that no agreement has been reached in regarding taking back the suspended workers. The Prime Minister should make a statement to the effect that suspension orders against the workers would be withdrawn.

My next point is that there is strike in dozens of sugar mills in Bihar. I request the Food Minister through you that he should let us know the latest position about it.

श्री रघुरामैया : हम सब को यह प्रार्थना करनी चाहिये कि हम सभा के वर्तमान कार्य को निबटा सकें । यदि समय बचा तो सरकार माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों पर विचार करेगी ।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक

COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL (DUTIES, POWERS AND CONDITIONS OF SERVICE) BILL.

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को बढ़ाना

Shri S. M. Joshi (Poona) : I beg to move :

"That this House do extend the time appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill to determine the conditions of service of the

---

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

** Not recorded.

Comptroller and Auditor General of India and to prescribe his duties and powers and for matters connected therewith or incidental thereto upto the 1st day of the Monsoon Session (1970)."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सेवा की शर्तों को अवधारित करने तथा उसके कर्तव्य और शक्तियों को विहित करने और तत्संतक्त या उससे आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये नियत समय को वर्षाकालीन सत्र (1970) के प्रथम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1969-70—जारी

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1969-70—Contd.

Shri Satya Narain Singh (Darbhanga) : It is a regular feature that Supplementary Demands for grants (Railway) are presented and they are passed after some discussion. But it seems that after the session the Government forget all about our suggestions and problems and do not take any action thereon. Attention of the Government has been drawn time and again to the fact that space provided for Railway employees at Mughalsarai Junction is unsatisfactory. There is no protection from cold or heat. Moreover, the accommodation provided to class IV employees is highly unsatisfactory. Latrines have not been provided in the quarters and as a result thereof they have to face lot of difficulty on the other hand, Railway officers are provided with spacious bungalows.

In spite of the assurances given in this House that all the cases, except the cases in which violence was involved, pending in connection with the strike on 19th September, will be withdrawn but nothing has been done. There was no incident of violence in Banaras and even then some employees have been prosecuted. The lower Court had released them but the officials again filed the case in the High Court. May I know whether the Railway Department will not suffer by this ? The officials have adopted such an attitude to harass the employees.

Inquiries are conducted into the causes of accidents. It is good that the guilty persons are punished. But the Railway administration should also see that charge-sheet is not handed over to Drivers and Foremen just at the time when they are about to start trains. This upsets their mind. So it is desirable to hand over the charge-sheet at the appropriate time.

The hon. Minister pass on the required information to us after receiving it from the officers but they do not try to examine it. The Hon. Minister does not make an effort to see the report. I want to say that the Hon. Minister should exercise his power and see that the officers do not harass the employees. The cooperation of the employees cannot be sought in this way. This way the work of the Railway Department suffers.

श्री नाथपाई (राजापुर) : मैं अधिक समय न लेते हुए केवल एक बात कहना चाहूंगा। तत्कालीन रेलवे मंत्री श्री जगजीवन राम ने 27 जुलाई, 1957 के पत्र में मुझे यह आश्वासन दिया था कि दासगांव को पालवेल या डरन से दिवा-पानवेल लाइन ले जाने के बारे में विचार किया जा रहा है। इस बात को हुए 10 वर्ष बीत गए, वर्तमान रेलवे मंत्री ने कोंकण रेलवे कर्मचारियों की सभा में इस आश्वासन को दोहराया था। इस परियोजना पर न केवल कोंकण के लोग ही अपितु गोवा, पश्चिमी मैसूर और केरल के लोग भी रुचि रखते हैं।

मैं कोंकण, गोवा, मंगलौर और केरल की जनता की ओर से इस परियोजना के लिये अपील करना चाहूंगा क्योंकि यह सामरिक तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मेरा अनुरोध है कि रेलवे मंत्री अपने आश्वासन को पूरा करें।

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : The survey, being conducted regarding the railway line which links Chanaka, is going on at a very slow pace. I would like to request the Hon. Minister to get the survey work expedited and the railway line laid without further delay so that the area may be developed economically and industrially.

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : कुछ समय पूर्व रेलवे अधिकारियों ने पारादीप-कटक रेलवे लाइन पर निर्माण कार्य आरम्भ किया था परन्तु कुछ कारणों से इस पर देरी की जा रही है ; रेलवे मंडल ने जो कारण प्रस्तुत किये हैं, वे अस्पष्ट हैं।

दूसरी बात वे यह कहते हैं कि उड़ीसा खनन निगम मुख्य रेलवे लाइन से खनिज क्षेत्र तक साइडिंग के निर्माण का व्यय वहन नहीं कर रहा है। इस बीच कई बातें हो गई हैं और खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा जापान के मध्य पारादीप बंदरगाह से तीन लाख मीटरी टन लौह अयस्क भेजने का करार हुआ है। इसी तरह पारादीप बंदरगाह से और लौह अयस्क भेजने के कई करार हुए हैं। उड़ीसा खनन निगम साइडिंग के निर्माण के लिये 67 लाख रुपये वहन करने के लिए सहमत हो गया है तथा उड़ीसा सरकार भारत सरकार से परादीप कटक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के लिए दबाव डाल रही है। परन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रही है।

मेरा एक और अनुरोध है कि मोटूपलायम और ऊटकमंड के बीच छोटी रेलवे लाइन को कालीकट और मैसूर तक बढ़ा दिया जाये ताकि सम्पूर्ण नीलगिरी जिले का विकास हो सके।

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : I would like to place an important issue before you. There is a Rajendra bridge between Barauni and Mokameh in Bihar. I think that Rupees Fourteen crores were spent on this bridge and by now the cost has been realised by way of fares ete. Now the Railway should construct a second bridge between Agwani Dumaria and Sultanganj which is very necessary.

I want to draw your attention to this lapse on the part of Railway Department. The Western Express run from Delhi to Bombay which does not stop at Godra while going to Bombay but it does stop while coming back. Now you can yourself imagine how this Ministry functions.

There is a station named Mansi on the North Eastern Railway. It is situated on the bank of Ganga. This river is causing a serious erosion. Perhaps the Railway Board has decided to shift the station. This will result in great financial loss. In this connection, we want to ask the Hon. Railway Minister to divert the current to its old direction and remove the heap of sand near Monghyr, which is obstructing the current of Ganga. By doing this Mansi Khagaria will be saved. This is our demand. In spite of this, the Railway Ministry wants to remove the Engineering Headquarters from the Junctions and leave the whole region at the mercy of erosion. It will be a serious mistake.

The Irrigation and Power Minister Dr. K. L. Rao once said in reply to a call attention notice that due to the constant attention paid by the Railways much damage was not done by the floods. Dr. K. L. Rao had also said that they would not allow further Mansi erosion and for this they would spend some more money. Now what is the use of removing the station and losing property worth crores of rupees.

I will quote the statement of the Chief Engineer which appeared in the "Indian Nation" of 27th November that the main current of the river would be diverted at the cost of Rs. 3 crores and efforts would be intensified to stop erosion permanently at a cost of about Rs. 5 crores. Now why he talks of removing the railway lines ?

In the end I will ask why the spurs were constructed at a distance of one thousand feet instead of Five thousand feet. Because this caused erosion. The Hon. Minister should give assurance that the Railway Station and the Engineering Headquarters would not be removed from there.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : I support the Bill but along with this I have to say that according to the rule the class IV employees are to be promoted after five years but this process is very slow. Only those are promoted who have approach to the high officials. This should be considered.

The Railways are a huge Public undertaking. They should work keeping in view the neglected areas. They should provide Railway facilities there otherwise such areas will always remain neglected. The railway employees have not received their salary for the last few months. The Railway Ministry had indicated to raise their salary but nothing has been done. All these things should be given proper attention.

श्री बे० कृ० दासचौधरी (कूच-बिहार) : 22 अप्रैल, 1969 को मैंने यह प्रश्न किया था कि क्या कूच-बिहार स्टेशन से कोई सीनियर ग्रेड असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का पद समाप्त कर दिया गया है तो मंत्री महोदय ने नकारात्मक उत्तर दिया था । परन्तु वास्तव में एक पद समाप्त कर दिया गया था । जब मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाया गया तो उन्होंने यह आश्वासन दिया कि उस स्टेशन मास्टर की पुनः नियुक्ति कर दी जायेगी । परन्तु अब तक ऐसा नहीं किया गया ।

उत्तरी सीमांत रेलवे की दो लाइनें बाढ़ के कारण बंद कर दी गई थीं । मंत्री महोदय ने हमें यह आश्वासन दिया था कि इन लाइनों को पुनः चालू किया जायेगा परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया ।

नए कूच-बिहार स्टेशन में कुछ वर्ष पूर्व रेल इंजन घर बनाने के लिए जमीन ली गई थी क्योंकि इस बड़ी लाइन को फरक्का से गौहाटी तक बढ़ाना था। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस बात को देखें इस जमीन को ले लेने के उपरान्त भी कार्य क्यों नहीं किया गया।

अब मैं मंत्री महोदय का ध्यान स्टेशन मास्टरों की सेवा की शर्तों तथा कार्य-घंटों की ओर दिलाऊंगा। रेलवे बोर्ड ने उनके कार्य-घंटे 8 से 8½ घंटे सतत नियत किये हुए हैं परन्तु हाल ही में इसे बदलकर विराम कार्य-घंटे कर दिया गया है। अपने कार्य के दौरान उन्हें माल की बुकिंग का कार्य भी देखना पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि इसको फिर से बदल कर कार्य-घंटे 8 से 8½ घंटे सतत नियत किये जायें।

उत्तरी सीमांत रेलवे में कुछ बड़ी लाइनें तथा छोटी लाइनें हैं। यहां कहीं एक स्टेशन मास्टर है तो कहीं दो, इनको दोनों प्रकार की लाइनों में कार्य करना पड़ता है। इससे उनके लिये कार्य करना कठिन हो जाता है। अतएव बड़ी लाइन तथा छोटी लाइन के लिए अलग-अलग स्टेशन मास्टर होने चाहिए।

अब मैं आपका ध्यान यात्रियों की सुविधाओं की ओर दिलाऊंगा। कूच-बिहार स्टेशन में आरक्षित स्थानों की संख्या कम है और आमतौर पर यह फरक्का तक की होती हैं। इससे कलकत्ता जाने वाले यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतएव मेरा अनुरोध है कि इसको कलकत्ता या सियालदाह स्टेशन तक बढ़ाया जाना चाहिये और आरक्षित स्थानों की संख्या भी बढ़ायी जानी चाहिए। हावड़ा-मद्रास रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों को और अधिक सुविधाएं देने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : 1955 में तत्कालीन रेलवे मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि पश्चिम तट का सर्वेक्षण कर रेलवे लाइन बिछाई जायेगी परन्तु ऐसा नहीं किया गया, गत अगस्त या सितम्बर को मैंने रेलवे मंडल के अध्यक्ष को इस बारे में बताया, उन्होंने कहा था कि उनके ध्यान में यह बात नहीं लाई गई थी, अतएव इस मामले पर कार्यवाही नहीं की गई। पश्चिमी तट एक ऐसा तटीय क्षेत्र है, जिसका सम्पर्क रेलवे लाइन द्वारा नहीं है।

मुझे इन्जीनियरिंग विभाग के एक सदस्य का पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि इसमें 80 करोड़ रुपये का व्यय आयेगा और इस लाईन को बिछाना उपयोगी न होगा, क्योंकि वर्तमान रेलवे लाइन के प्रयोग से उन्हें अधिक लाभ होता है, चाहे ऐसा करना उस क्षेत्र की जनता के लिये सुविधापूर्ण क्यों न हो।

अतएव इन आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया जाये। रेलवे मंत्री महोदय को चाहिए कि सर्वेक्षण करने के लिये वह तत्काल आदेश दें। यहां बड़े बन्दरगाह हैं, यदि माल को रेल द्वारा वहां ले जाया गया तो यातायात की समस्या काफी सीमा तक सुलझ जायेगी। मैं रेलवे मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड के बड़े-बड़े अधिकारी इस

बात की भी कोई चिन्ता नहीं करते कि मंत्री महोदय ने हाल में या वर्ष 1955 और 1959 में क्या-क्या वादे किये हैं। बम्बई तथा केरल को इस छोटे मार्ग से जोड़ने पर इस क्षेत्र के यात्रियों को तथा माल यातायात की बड़ी सुविधा होगी। अतः मेरा निवेदन है कि इस मार्ग का शीघ्र ही सर्वेक्षण किया जाय।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 52 और 53 के विषय में ही बोलना चाहता हूं।

मेरे कटौती प्रस्ताव पारादीप लाइन के निर्माण में देरी होने तथा उसे 1971 तक पूरा करने के सम्बन्ध में हैं। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस मंत्रालय में वह कौनसा गुप्त व्यक्ति है, वह चाहे रेलवे बोर्ड में हो, चाहे दक्षिण-पूर्व जोन में हो, जो मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरा नहीं होने देता। इस लाइन के उद्घाटन के समय श्री पुनाचा ने यह विश्वास दिलाया था, वह 1971 तक पूरी हो जायेगी। हम समझते हैं कि इस सम्बन्ध में किन्हीं व्यक्तियों का हाथ अवश्य है। इस सम्बन्ध में कुछ कारण अवश्य बताये गये हैं किन्तु उनका रेलवे लाइन को पूरा करने में देरी होने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

जहां तक भूमि के हस्तान्तरण का प्रश्न था इस कार्य को निपटाने के लिये एक समन्वय समिति नियुक्त कर दी गई थी तथा रेलवे मंत्रालय में इसका रिकार्ड है। एक तर्क यह दिया गया है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम के साथ साईडिंग के बारे में करार उचित समय पर नहीं हो पाया। किन्तु इसका पारादीप रेलवे लाइन के निर्माण के साथ क्या सम्बन्ध है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

पारादीप पत्तन से दैत्री बरजामदा क्षेत्र के लगभग 30 मीटरी टन लौह अयस्क का निर्यात करने के बारे में एक करार हो चुका है, किन्तु यदि यह रेलवे लाइन 1971 तक पूर्ण ही नहीं होगी तो लौह आयस्क का निर्यात किसी अन्य पत्तन से किया जायेगा। वस्तुतः खेल यही खेला जा रहा है, इसी कारण मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि इस कार्य को पूरा करने में क्यों देरी की जा रही है तथा वह कौन व्यक्ति है जो यह खेल खेल रहा है। जब इस कार्य के लिये टेन्डर मांग लिया गया था तथा एक इन्जीनियर भी नियुक्त कर दिया गया था तो उस टेन्डर को रद्द क्यों किया गया तथा उस इन्जीनियर को अन्य कार्य क्यों सौंप दिया गया ? मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें तथा यह आश्वासन दें कि इस रेलवे लाइन का निर्माण पूर्व निर्धारित समय में हो जायेगा।

श्री रा० कृ० बिड़ला (झूंझनू) : मैं माननीय मंत्री तथा माननीय सदन का ध्यान इस ओर कई बार दिला चुका हूं कि यद्यपि खेत्री में एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम स्थापित किया गया है तथा वहां पर उर्वरक कारखाना भी बनाया जा रहा है तथापि वहां पर कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। वहां बिना एक रेलवे स्टेशन बनाये माल का आना जाना कैसे सम्भव होगा ? खेत्री परियोजना पर 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत आई है। अतः मुझे विश्वास है कि सरकार इस ओर शीघ्र ही ध्यान देगी।

पिलानी में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जैसा ही विश्वविद्यालय है जिसमें देश के सभी भागों से लगभग 5,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते हैं।

किन्तु खेद है कि पिलानी तक जाने वाली कोई रेलवे लाइन नहीं बनाई गई जबकि ऐसे सभी नगरों में जहां विश्वविद्यालय हैं, रेलवे स्टेशन विद्यमान हैं। मेरा निवेदन है कि पिलानी में भी शीघ्र ही रेलवे स्टेशन बनाया जाय।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : विनियोजन विधेयक पर बोलने के लिये मुझे कुछ मिनट मिलने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मांगों पर बोलने के पश्चात विनियोजन विधेयक के सम्बन्ध में उन्हीं बातों को दोहराना उचित नहीं है। अत: विनियोजन विधेयक पर भाषण देने की अनुमति नहीं दी जायगी और मैं बाद में 5 या 6 मिनट दूंगा जिसमें आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। यही बात श्री झा के सम्बन्ध में है।

Dr. Surya Prakash Puri (Nawada) : Sir, recently a Mian Bhai Commission has been constituted to settle the internal disputes by the Railway Board. I suggest that the representatives of all the unions be called to ventilate their grievances before this commission. I do not understand why prime consideration is being given to only two unions, that is, N. F. I. R. and A. I. R. F. by the Railway Board. I request that this domination should end and all the categorical unions should be given opportunity to put forth their respective view points.

Secondly, I am startled to note that in a Railway Club situated at Dhanbad there is still an arrangement for drinking wine. There is a wine-shop in public place. I request the Hon. Minister to take immediate steps to remove this shop.

It should also be inquired into why on the Dhanbad-Mughalsarai railway line untrained Railway Guards are posted on duty. This practice is illegal and this is done to harass the regular guards.

Thirdly, the Travelling Ticket Examiners should be treated as running staff because the services of these employees are similar to those of guards, drivers or conductors.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं मंत्री महोदय का ध्यान दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा डिवीजन में कार्य करने वाले हजारों नैमित्तिक मजदूरों की कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूं। रेलवे बोर्ड के वर्ष 1962 के एस्टेब्लिशमेंट क्रमांक 324 में यह विशेषरूप से उल्लेख किया गया है कि इन मजदूरों की मजूरी की दर का पुनरीक्षण होना चाहिए। गंजम के जिला कलक्टर ने नैमित्तिक मजदूरों को दी जाने वाली मजूरी की दर 2 रुपये 25 पैसा प्रति दिन निर्धारित की है तथा पुरी के कलक्टर ने 3 रुपया प्रतिदिन निर्धारित की है। बाद में इन मजदूरों ने भारी आन्दोलन किया तथा उसके फलस्वरूप डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने गंजम के मजदूरों को 2 रुपये 16 पैसे तथा पुरी के मजदूरों को 2 रुपये 50 पैसे प्रतिदिन मजूरी निर्धारित की। यह दर कलक्टरों द्वारा निर्धारित दर से भी कम है। अत: मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मजूरी की दर का पुनरीक्षण होना चाहिए तथा उसे 1-1-69 से लागू करना चाहिये।

दूसरे, मैंने रेलवे बोर्ड से दक्षिण-पूर्व रेलवे के रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाने की प्रार्थना की थी। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ स्टेशनों पर बिजली लगाई गई है किन्तु कैपादर रोड स्टेशन को अब भी छोड़ दिया गया है।

कटक से बरहामपुर तक चलने वाली शटल रेलगाड़ी को बन्द कर दिया गया है। मेरा निवेदन है कि इस गाड़ी को फिर चालू कर दिया जाय।

पारादीप-कटक रेलवे लाइन को बनाने में शीघ्रता की जाय तथा वर्ष 1971 से पहले ही उसे पूरा कर दिया जाय।

Shri Suraj Bhan (Ambala) : Sir. Dr. Ram Subhag Singh once gave an assurance to the effect that the posts of class II, III and IV employees would be up-graded. May I know whether that assurance will be fulfilled as a new year gift?

Secondly, the Pay Commissions appointed so far by the Government could not do justice to the Railway employees because of the large number of categories of this Department. There are 718 categories. I demand that a separate Pay Commission be appointed to look into the grievances of the Railway employees.

Thirdly, a new train should be introduced on Ambala-Saharanpur line as the traffic condition on this line is fast deteriorating. Some additional bogies should also be attached to the trains already plying. I have repeatedly put forth this demand before the Hon. Minister but I am sorry to announce here that if no arrangements are made to this effect by the end of this month, I will have to go on hunger strike. I have also written this to Shri Govind Menon.

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी) : मंगलौर-हसन रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में श्री नाथ-पाई और श्री कुन्दू द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से मैं पूर्णतः सहमत हूं। यह मांग केरल की सम्पूर्ण जनता की मांग है।

दूसरे, मैसूर से केरल तक जाने वाली रेलवे लाइन की भी भारी मांग है। तत्कालीन रेलवे मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने हमारे राज्य के लोगों को यह आश्वासन दिलाया था कि मैसूर से तेल्लीचेरी जाने वाली एक रेलवे लाइन बनाई जायेगी तथा उसका सर्वेक्षण भी आरम्भ कर दिया गया है, किन्तु बाद में उस सर्वेक्षण का क्या हुआ, इसका हमें कुछ पता नहीं है। मैं समझता हूं कि इस रेलवे लाइन के निर्माण में बाधा उपस्थित करने में कुछ निहित स्वार्थों का हाथ है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह उस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार करें।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, I want to draw the attention of the Hon. Minister to the proposed Ugano halt between Sakari and Pandaul. The estimates of this halt have been prepared but are still lying with the Railway Board which have converted themselves into a coterie. The Railway Board gleefully incurred Rs. 12 thousands on air-conditioning the office of the Divisional officer of Samastipur, but for this purpose there is a paucity of funds with the Railway Board. Sir, I am constrained to say that the Railway Board is not putting its seal of approval to this proposal out of mischief and I demand that this Board be smashed immediately. I also request the Hon. Minister that this halt should be made a **fait accompli** as soon as possible.

In a reply sent to me by the Government it has been mentioned that a halt can not be made at warsa which is in between Ghoghadiha and Nirmali on the economic grounds. I request the Hon. Minister to approve this halt immediately with a view to the convenience of public.

Due to the closure of western **Gumati** in Samastipur Market the chances of accidents have increased. I request that the same may please be re-opened. Arrangements should also be made to connect one extra bogie with the trains running from Jai Nagar to Saharsa or to Supaul. One extra train should also be provided on the Samastipur Delhi Railway line.

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : महोदय, मैंने अध्यक्षपीठ की सुविधा के लिये उप-मंत्री महोदय को कुछ बातें लिखकर दी हैं। कृपया उनसे कहिए कि वह उनका उत्तर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उनका उत्तर अवश्य देगें।

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa) : May I know from the Hon. Minister of Railways whether he is inclined to connect Jaipur with the broad gauge line and if so, the time by which it will be done ?

It was declared by the Ex-Minister of Railways for the convenience of the passangers a shuttle train would be run from Bandikui to Jaipur. But that thing could not be materialised so far. I request the Hon. Minister that a shuttle train service should be started at least from Bandikui to Jaipur if not from Rewar i to Jaipur as was originally proposed to be done.

My third point is that the Gura-Katra Road which has been blocked by the Railway authorities, thereby causing much inconvenience to the traffic, should be cleared as soon as possible.

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Sir, in reply to my several questions the Hon. Minister had mentioned that a Samastipur-Narkatiaganj broad gauge line via Muzaffarpur would be constructed and that its survey was being undertaken. May I know the time by which this railway line will be completed ?

I have repeatedly raised this point in the House that a new branch line from Hajipur to Bhainsalotten via Lalganj, Kesaria, Shahganj and Govindganj should be introduced. From commercial point of view this railway line will prove remunerative. May I know whether the Government are going to conduct a survey in this regard or not ?

श्री वि० ना० शास्त्री (लखीमपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि गौहाटी को बड़ी लाइन से कब मिलाया जायेगा।

हमें बताया गया है कि इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। कृपया यह भी बताया जाये कि सर्वेक्षण कब तक पूरा होगा। साथ ही क्या इस लाइन को तिनसुखिया तक बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

यह सूचना मिली है कि उत्तर सीमांत रेलवे के धेमजी, सिलापाथर और मुरसोंग सैल्क नामक क्षेत्रों में रेलवे प्राधिकारियों द्वारा भूमि का गुप्त व्यापार किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में शत-प्रति-शत आदिम जाति के लोग हैं। रेलवे प्राधिकारियों ने राज्य सरकार से भूमि अर्जित की तथा वे उसको बाहर के लोगों को पट्टे पर दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे प्राधिकारी इस प्रक्रिया को समाप्त कर रहे हैं या नहीं ?

Shri Gurcharan Singh (Ferozepur) : May I know whether railway bridges will be constructed at Moga and such other cities as are divided into parts by railway lines, in view of the fact that the population of these cities has increased considerably and much inconvenience is caused to the traffic when the level crossings are closed for hours and hours ?

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : May I know whether the Government propose to introduce a Kisan Express train on the lines of the Rajdhani Express as was assured by the Ex-Minister of Railways ?

Secondly, I want to know whether the Government have any proposal for starting electric trains in Delhi ?

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : Sir, complaints regarding the undignified treatment meted out to the Harijan employees of the office of the Divisional Superintendent by the employees of that office belonging to other castes have been made several times, but no action has been taken in this regard by the Government. I request the Hon. Minister to explain this point.

Secondly, no waiting room has been provided at Phulpur Railway Station. I would like to know the reasons for this.

Shri Awadesh Chandra Singh (Farrukhabad) : Sir, an assurance was given to the effect that the building which was vacated by the D. T. S. office would be given to Railways for their own use. But the same has not been done as yet.

Secondly, we demanded that Delhi-Farrukhabad train should be converted into an express train. But that train has been discontinued by the Government. I request that this train service should be started again.

श्री जी० एस० रेड्डी (मिरियालगुडा) : सर्वेक्षण विभाग ने मचैरला तथा हैदराबाद लाइन का सर्वेक्षण कर लिया है । क्या इस कार्य को चौथी योजना में सम्मिलित किया जायेगा ?

Shri Sitaram Kesri (Katihar) : May I know the extent to which progress has been made by the Government in regard to the construction of Barauni-Lagayat Katihar broad gauge line ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri R. L. Chaturvedi) : Mr. Deputy Speaker, Sir, so far as the implementation of the recommendations made by uneconomic Branch Lines Committee is concerned, the report of the said committee has been placed before both the Houses only yesterday. The report will be examined by the administration and we will try to do something in this regard before the Budget, but nothing can be said categorically (**Interruptions**). The committee have suggested that certain narrow-gauge lines should be converted into broad-gauge lines. The main recommendation of this committee is that at several lines diesel cars should be started to facilitate the people. The Government have taken a decision in this regard and we have instructed the authorities of our workshop to manufacture the diesel cars as soon as possible.

We have been trying to implement these useful schemes subject to the availability of funds.

I would like to inform Shri Biswas that they have recommended for the conversion of Purulia Katshila line. We have also recommended the extension for Gohana Panipat line.

Shri Nitraj Singh pointed out that in ladies compartment in a third class coach had caught fire and the officer travelling in the attached saloon did not take any action in the matter. The facts relating to that incident have been investigated and it was stated that that officer was going from Lucknow to Madras and immediately after he came to know about the fire he went to that compartment to see the situation on the spot as such the allegation of the Hon. Member is wrong.

Shri N. K. P. Salve : Is theHon. Minister prepared to institute an enquiry into the matter.

Shri R. L. Chaturvedi : This is a basic fact and an inquiry is not considered necessary.

श्री जि० मो० बिस्वास : उस अधिकारी ने आग बुझाने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : एक माननीय सदस्य ने गम्भीर आरोप लगाया है ।

Shri R. L. Chaturvedi : Another allegation was made that we are constructing a multi-storied building between Church Gate and Grant Road at Bombay and it was stated that contract for that work was given to S/s Khandelwal Bros. But no such contract has been given. Therefore the allegation is baseless and has been intentionally made because the name of the Chairman of Railway Board is also Khandelwal.

उपाध्यक्ष महोदय : समय कम है अतएव मंत्री महोदय मूल बातों पर बोलें ।

Shri R. L. Chaturvedi : We are not dismantling the D. S. Office Bombay for constructing Super Bazar. We, of course, intend to build a multi-storied building to house the employees who have to come from far off places. The ground floor of the building is prepared to be used as a market place. A final decision in the matter is still to be taken keeping in view the financial position.

Shri K. N. Tiwari suggested the formation of a high powered committee to look into the irregularaties in the Railway Department. I have to state that the high powered committee was constituted for laying down the policy of railways, of which the Hon. Member was a member and as such he knows the progress made in the matter. We have yet to take a decision as to how its recommendations should be implemented. I deny the necessity of forming a committee to investigate into the irregularities in the Railway Department.

The position in regard to conversion from Barauni to Katihar or to Gauhati is that considerable progress has already been made in the survey work and in some parts it has been completed. The survey for laying broad gauge line from Barauni to Katihar is being made and action in the matter would be commenced after the receipt of the report and its examination by the experts. We are quite earnest in the matter, We are surveying both the routes ; via Darbangha and via Muzaffarpur. There is no question of any action in respect of Raxaul to Narkatiaganj.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने बहुत-सी बातें उठाई हैं और मंत्री महोदय को उनका सहानुभूतिपूर्वक परीक्षण करने के लिये कुछ समय लगेगा ।

श्री धीरेश्वर कलिता : जोगीघोपा से गौहाटी तक बरास्ता पंचरत्न, लाइन के बढ़ाने की क्या स्थिति है ?

Shri R. L. Chaturvedi : We are examining all that. By the end of Fourth Plan, we propose to provide III class sleeper coaches in the night trains.

श्री जि० मो० बिस्वास : हावड़ा से दिल्ली तक स्लीपर कोच स्पेशल के बारे में क्या स्थिति है ?

Shri R. L. Chaturvedi : Besides, we are trying to provide a third class air-conditioned coache. We have sought a report to that effect which is being examined.

An Hon. Member : The fare would be the same.

Shri R. L. Chaturvedi : That would be considered afterwards.

Another point was raised regarding Konkan and Hasan, Manglore lines. These lines would cost 50 crores of rupees and we feel that they are necessary. I can only give an assurance that suggestions to this effect would be considered. Decision on it would depend on the over all financial position.

Shri Dwivedy raised the question of a railway line for Paradeep Port. We hope it would be completed by 1972 and met in 1971 as assured earlier.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह पहला ही अवसर है कि एक उपमंत्री को अनुपूरक मांगों सम्बन्धी कार्य संसद् में सौंपा गया है, इसलिये हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में और भी महत्वपूर्ण कार्य करने हैं।

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय को दस मिनट और दिये जाएं ताकि वह सभी बातों का उत्तर दे सकें।

श्री रो० ला० चतुर्वेदी : सदस्यों द्वारा कई लाइनों का मामला उठाया गया है, जिनके बारे में मेरे पास जानकारी है, वह मैं अभी देता हूं।

गुना-मक्सी लाइन पर अच्छी प्रगति हुई है और उसके पूरा होने में देरी नहीं लगेगी। तिन्नेवेली-कन्या कुमारी लाइन का सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसके पूरा होते ही उस पर विचार किया जायेगा।

श्री कामेश्वर सिंह : मान्सी के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री रो० ला० चतुर्वेदी : उसकी जांच करने के पश्चात् मैं उन्हें बताऊंगा।

Shri Kameshwar Singh : If the erosion there is not prevented we shall not allow the line to be constructed.

श्री जि० मो० बिस्वास : दो बातों का उत्तर नहीं दिया गया।

Shri Satya Narain Singh : Our points have not been answered.

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक सम्भव था उन्होंने उत्तर दे दिया है। शेष मामलों पर वे ध्यान देंगे। मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि वे सदस्यों के प्रश्न के उत्तर पत्रों द्वारा दें।

श्री रो० ला० चतुर्वेदी : ऐसा ही किया जायेगा।

श्री जि० मो० बिस्वास : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सहयोग दें। यदि आप चाहें तो विधिवत प्रस्ताव रख सकते हैं।

श्री नाथ पाई : नियम सभी के लिए हैं। मंत्री महोदय ने मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 54 का उल्लेख भी नहीं किया, अतएव मैं उस पर मतदान की मांग करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 54 मतदान के लिये रखा गया

Cut Motion No. 54 was put

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 35 : विपक्ष में 66

Ayes 35 : Noes 66

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

श्री बे० कु० दास चौधरी : मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 50 और 51 पृथक् से मतदान के लिये रखे जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको पुकारा गया था तब आप उपस्थित नहीं थे इसलिये वे रखे नहीं जा सके।

अब मैं शेष कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

All the other cut motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1969-70 के लिये अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें (रेलवे) मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुयीं

The following Demands for Supplementary Grants (Railways) 1969-70 were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
2	"विविध व्यय"	1000
15	"चालू लाइन कार्य-निर्माण-पूंजी, मूल्य ह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि"	2000

विनियोग (रेलवे) संख्या 5 विधेयक, 1969
APPROPRIATION (RAILWAYS) No. 5 BILL, 1969

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रो० ला० चतुर्वेदी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवा के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री रो० ला० चतुर्वेदी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे के प्रयोजनों के लिये वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवा के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनों के लिये वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार विचार किया जाता है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, 1, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 2, 3, 1, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2, 3, 1, the Scheduled, the Enacting Formula, and the Title were added to the Bill

श्री रो० ला० चतुर्वेदी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1967-68
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL) 1967-68

वर्ष 1967-68 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें (सामान्य) प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	वाणिज्य मंत्रालय	99,592
4	रक्षा मंत्रालय	18,448
5	रक्षा सेवाएं—सक्रिय सेना	18,85,15,570
8	रक्षा सेवाएं—निष्क्रिय	75,03,436
21	स्टाम्प	14,04,444
26	पेशनें अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	21,26,534
38	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	7,973
51	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	64,50,698
52	आदिम-जाति क्षेत्र	93,75,374
60	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	30,414
71	विधि मन्त्रालय	92,584
83	सड़कें	13,80,433
95	डाक और तार—कार्यचालन व्यय	1,24,24,586
100	संसद विषयक विभाग	2,052
117	पेंशनों का राशीकृत मूल्य	13,18.710
125	गृह-मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	7,19,365
128	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	47,45,330

अध्यक्ष महोदय : अब हम अतिरिक्त अनुदानों की मांगे लेंगे ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अतिरिक्त अनुदान और अनुपूरक अनुदान पर चर्चा एक साथ की जाये, जिससे तीन घण्टे के कुल समय में से सभी दलों को समय प्राप्त हो जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सुझाव वस्तुतः रचनात्मक है किन्तु तकनीकी कठिनाई के कारण दोनों अनुदानों को एक साथ नहीं लिया जा सकता । अतः हम उन्हें उसी प्रकार लेंगे, जैसे वे कार्य सूची में दी गई हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान्, अतिरिक्त अनुदानों पर विचार करते समय ऐसा प्रतीत होता जैसे कि सरकार द्वारा जाने या अनजाने में किये गये सही या गलत खर्च की शव परीक्षा की जा रही है । मैं इस सम्बन्ध में अधिक न कहकर केवल यह बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ अब भी अन्याय हो रहा है ।

[**श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

19 सितम्बर, 1968 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की जो सांकेतिक हड़ताल हुई थी उसमें 6 लाख से भी अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया था । प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की थी कि हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के साथ नर्मी बरती जाये । किन्तु आज तक लगभग 1000 से 12000 तक ऐसे कर्मचारी हैं, जो या तो निलम्बित हैं या नौकरी से हटाये जा चुके हैं । गृह मंत्री और प्रधान मंत्री ने सभा में कई बार आश्वासन दिये कि ऐसे सभी कर्मचारी काम पर पुनः ले लिये जाएंगे परन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह आश्वासन पूरे नहीं किये गये । इनमें से किसी ने भी तोड़ फोड़ नहीं की थी फिर भी उन्हें क्यों नहीं लिया जा रहा है । मैं प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह आज सभा में घोषणा करें कि ऐसे सभी कर्मचारी काम पर वापस लिये जाएंगे ।

दूसरी बात यह है कि सरकार ने वेतन आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया है । यद्यपि हम वेतन आयोग का विरोध करते हैं क्योंकि उसके प्रतिवेदन को पंचनिर्णय की भांति नहीं माना जाता । हम तो चाहते हैं कि यह सम्पूर्ण मामला पंचनिर्णय के लिये सौंप दिया जाये । यदि वेतन आयोग ही नियुक्त किया जाना है तो उसके निदेश पदों की घोषणा करने से पूर्व सरकार के कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त कर लेना चाहिये । हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ इस बात पर विचार-विमर्श करे कि उक्त आयोग के सदस्य कौन होंगे और उनके निर्देश-पद क्या होंगे ।

जिन लोगों की सेवा में हड़ताल में भाग लेने के कारण व्यवधान आ गया है, उन्हें पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि और छुटी आदि की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं । रेलवे कर्मचारियों को पास और पी० टी० ओ० की सुविधा को वंचित कर दिया गया है । मैं प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि 'सेवा में व्यवधान' की निर्योगिता को समाप्त कर दिया जाये । सरकारी कर्मचारी के लिये सेवा से व्यवधान का मामला बहुत ही गम्भीर होता है । मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाएंगी । इन शब्दों के साथ मैं अतिरिक्त अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटे) : सभापति महोदय, श्रीमान् श्री बनर्जी ने सरकारी कर्मचारियों के बारे में जो कहा उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। वाद-विवाद या प्रश्नों के उत्तर में सरकार बार-बार यह कहती है कि उनके साथ नर्मी का व्यवहार किया जायेगा और उनके मामलों पर पुनः विचार किया जायेगा। यह सिलसिला लम्बे समय से चला आ रहा है। इन कर्मचारियों को नौकरी पर पुनः बहाल करने के लिये अथवा उनके विरुद्ध कार्यवाही रद्द करने के लिये केवल कार्यकारी आदेश न दिये जाएं, क्योंकि उनकी व्यवस्था अधिकारी लोग अपने-अपने अनुसार करते हैं। अपितु इस सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश निकाले जाएं यदि सरकार ऐसे कर्मचारियों को पुनः काम पर ले भी लेती है, और सेवा में व्यवधान समाप्त नहीं करती तो भी सरकार की नम्र नीति का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा न करने पर उनकी नियोंग्यता तो फिर भी बनी रहेगी और उन्हें पदोन्नति, वरिष्ठता, वेतन वृद्धि आदि का लाभ न मिलेगा। अतः उनके सेवा में व्यवधान को माफ करने की सरकार को घोषणा करनी चाहिये। सरकार ने विभिन्न कर्मचारी संघों को मान्यता दे दी है। परन्तु सीमा शुल्क कर्मचारी संघ को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। उसे भी मान्यता दे दी जाये।

श्रीमान, मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जब से संसद अस्तित्व में आयी है तभी से हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के या सामान्य मामले के बारे में मंत्री महोदय के साथ पत्र-व्यवहार करते हैं और मंत्रीगण भी हमें उस सम्बन्ध में उत्तर देते आये हैं परन्तु अब कुछ कर्मचारियों के ऐसे मामले भी हुये हैं जिनके बारे में हमने मंत्रियों को लिखा था। उन लोगों को उनकी वेतन वृद्धि रोककर इस आधार पर दण्डित किया गया कि वे संसद सदस्यों के पास गये और उनके माध्यम से अभ्यावेदन दिया। एक मामले में सम्बन्धित कर्मचारी से पूछा गया कि आपका मामला संसद सदस्य के माध्यम से मंत्री के पास कैसे पहुंचा। उसने लिखित में बताया कि संघ के माध्यम से यह मामला संसद सदस्य और मंत्री के पास पहुंचा। इसके बावजूद उस कर्मचारी को दण्डित किया गया। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में एक वक्तव्य दिया जाये। यदि किसी संसद सदस्य ने कोई मामला उठाया है तो उससे सम्बन्धित कर्मचारी को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये। मैंने यह बात विशेष रूप से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सम्बन्ध में कही है। जब डा० राम सुभग सिंह डाक तथा तार विभाग के मंत्री थे, उस समय इस आशय का एक परिपत्र जारी किया गया था कि हम लोगों को इसे उत्साहित नहीं करना चाहिये। मैंने श्री सत्य नारायण सिंह को भी इस सम्बन्ध में लिखा है।

तीसरी बात मैं सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के विभागीय कलाकारों के बारे में बताना चाहता हूं। तिरुचिरापल्ली और मद्रास, दिल्ली या कलकत्ते में काम करने वाले अनाउन्सरों को यद्यपि समान काम करना पड़ता है किन्तु उनके वेतनमानों में बहुत अन्तर है। उनके वेतनमानों को समान बनाया जाये और वेतनमान संशोधन पर लगे प्रतिबन्ध के आधार पर उनके साथ भेदभाव न किया जाये। इस प्रतिबन्ध के रहते हुये भी वेतनमान संशोधित किये जा रहे हैं। ड्रामा वायस को 1-10-1964 से जैसे भी हो 'क' और 'ख' श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाये। मैंने इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट किया था और उन्होंने कहा था कि कुछ न कुछ किया जायेगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को भी स्पष्ट करें।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : I oppose these Supplementary Demands for Grants. These Ministries are in the habit of spending more. They spend more than the amount allotted for them. It has become the habit of the Government to spend more.

It has been stated that the expenditure of the Ministry of Commerce and the Ministry of Information and Broadcasting has been raised because of increased expenditure on Travelling and overtime allowances.

India is a very poor country. I cannot understand why our officers travel by air and in air-conditioned trains. They are the reprensentative of the people. They should travel in third class with the general public. Government can arrange good type of sleeper coaches for them and in this way enough expenditure can be saved.

There is considerable scope of saving in many expenditures which are avoidable. There is a scope for reducing the expenditure which may appear to be justified, such as expenditure on Rashtrapati Bhavan can be reduced. Arrangement should be made to sow wheat crops in the lawns of Rashtrapati Bhavan.

The expenditure of the Ministry of Information and Broadcasting is on very high side. A. I. R. is being utilised for the benefit of one Party. I will request the Hon. Minister to be careful in this matter so that he may not have to request for additional grants in future.

Demands for additional grants have been made for roads also. But I am sorry to state that the conditions of some highways are so bad that it is very dangerous to travel on those roads. 90 per cent of the members in this House represent villages. But the condition of the roads in the villages are still bad. The conditions of the roads in the villages should be improved. There is still enough scope for reducing expenditure.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : अधिक भुगतान से यह स्पष्ट होता है कि बजट व्यवस्था में कुछ त्रुटियां हैं। बजट में निर्धारित राशि से अधिक खर्च को दिखाने से पूर्व सरकार और मंत्रालय उक्त राशि को अनुपूरक बजट और विनियोग द्वारा समाप्त कर सकते हैं। निर्धारित राशि से अधिक धनराशि खर्च करने से यह स्पष्ट होता है कि हमारे बजट अधिकारी बजट बनाने में समर्थ नहीं हैं। वर्ष 1967-68 में अधिक खर्च की गई धनराशि के बारे में हमें दो वर्ष बाद जानकारी प्राप्त हुई। इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये थी।

वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधि मंडलों पर खर्च की जाने वाली राशि में 46,000 रुपये की वृद्धि की गई है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन प्रतिनिधि मंडलों से सरकार को कुछ लाभ होता है ? सरकार को इस सम्बन्ध में पूरी जांच करनी चाहिये और उन्हीं प्रतिनिधि मंडलों को विदेशों में भेजना चाहिये, जिनके विदेशों में भेजने से देश को कुछ लाभ हो। केवल एक मंत्रालय राजकोष से इस पर 2.46 लाख रुपया खर्च करता है, यह करदाताओं के प्रति अन्याय है।

प्रतिरक्षा पर व्यय अत्यावश्यक है, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उस पर फिजूलखर्ची की जाये। इस बारे में वित्त मंत्रालय और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

देश के बहुत से पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को मूल्यों में वृद्धि होने और उसके परिणाम स्वरूप उनकी आय में कमी होने के बावजूद भी भत्ते नहीं मिल रहे हैं। जिससे उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केन्द्रीय सरकार ने अपने पेंशन प्राप्तकर्ताओं को कुछ रियायतें दी हैं लेकिन राज्यों में पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को बहुत कम रियायतें दी गई हैं।

राज्यों में पेंशन पाने वाले के लिये केन्द्रीय सरकार को कुछ सहायता देनी चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे लोग आगामी चुनाव में इनके विरुद्ध कार्य करेंगे।

हमारे देश के देहाती क्षेत्रों में सड़कों की हालत बहुत खराब है। चौथी योजना में इसके लिये केवल 1 करोड़ रुपये नियत किये हैं, जो कि अपर्याप्त हैं। सरकार को देहाती क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिये और राशि देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार समाजवाद लाना चाहती है। देहात में लोग समाजवाद का अर्थ तभी समझेंगे, यदि उन्हें सड़कों जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसी प्रकार नदी तथा नालों पर पुल बनाये जाने चाहिये।

डाक तथा तार विभाग पर सदैव व्यय बढ़ता रहता है, परन्तु इसके कार्य में कोई सुधार नहीं हुआ है। टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने में बहुत विलम्ब होता है। यह कहा जाता है कि तारों की कमी है। मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये। हमें बताया गया है कि तार कारखानों की क्षमता बेकार पड़ी है।

योजना आयोग को अपने कार्य में सुधार करना चाहिये और राज्यों को ऋण देने में सावधानी बरती जानी चाहिये।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I oppose these excess demands for grants. Their arguments for these grants are unconvincing. First we take the grants in respect of Ministry of Commerce. It says that the increased expenditure on travelling allowance was due to payment of arrear bills of the Indian Airlines and more tours undertaken by officers during the last few months of the year as well as larger expenditure on overtime allowance than anticipated. It shows that money has been spent on work other than development work. Similar is the case of Ministry of Information and Broadcasting. The Ministry of Home Aflairs has asked for excess grants for purchase and distribution of tear smoke material. I want the Hon. Minister of clarify it. Is it for supression of people. It is imported. When people agitate to air their grievances, this tear gas is used against them. It is not proper.

All the demands except that of Defence Ministry are due to lavish and wasteful spending by Government. They talk of socialism too much. It cannot be brought about by deficit financing. Then they talk of green revolution, but it has no effect on our country's economy. The deficit financing should be stopped.

In regard P. L. 480 funds, the harmful thing is that a part of it is used by American Embassy in India and it results in deficit financing in this country.

These funds should be frozen by Government. Government should streamline its working and useless expenditure should be avoided. I oppose these Excess Demands of grants.

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : It was wrong budgeting by Government in 1967-68 that these excess grants have been presented now. I therefore oppose it.

This Government lays down very good policies, but it is very unfortunate that in implementation there are numerous defects. As a result we find great disparity and imbalance in development among various regions of our country. In this connection I want to draw their attention to the report of National Council of applied Economic and Research. Actually the method of evaluation of our Government is defective. It cares for the development of big cities. The wrong policies of Planning Commission are ruining this country.

The work regarding distribution of land should have been done immediately after the attainment of indcpendence. It is a sorry state of affairs that the zimindary system is still in existance in our country. Govcrnment should change its policies and give top priority for the welfare of common man in the country. Otherwise this Government will have to go.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): श्रीमान्, मैं देश के एक बड़े एकाधिपति श्री रामनाथ गोयनका के कुकृत्यों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। इनके तथा इनकी सहायक कम्पनियों आदि के पास लगभग 92 लाख रुपये के शेयर आदि हैं। सरकार ने आदेश जारी करके शेयरों के सभी अग्रिम सौदों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था, परन्तु इसके बावजूद कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज ने सौदों की बकाया राशियों को ठीक नहीं किया है।

14 बड़े-बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। इन बैंकों ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को बहुत बड़ी-राशियां शेयरों के बदले दे रखी थीं। रिजर्व बैंक ने इन बैंकों को कोई आदेश नहीं दिया कि वे ऐसी राशि देना बन्द करें। या इस सम्बन्ध में हिसाब-किताब ठीक करें।

बहुत-सी कम्पनियों ने इंडियन आयरन के शेयरों में धन लगाया है। कम्पनी विधि विभाग को ऐसे सौदों की जांच करनी चाहिए।

श्री गोपालन द्वारा करोड़ों रुपये 90 लाख शेयरों के मार्जिन से बनाये गये हैं। उनकी आय का स्रोत क्या है? उनके 15 लाख शेयर पंजाब नेशनल बैंक के पास हैं। क्या सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। रिजर्व बैंक ने अगस्त, 1968 में पंजाब नेशनल बैंक को इन्हें 80 से 85 लाख रुपये देने से क्यों नहीं रोका। कलकत्ता के कुछ स्टाक दलालों के आयकर सम्बन्धी मामलों पर जांच के बाद जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। यह समाचार मिला है कि $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये के छिपे धन के उनके बेनामी शेयर हैं।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि श्री गोयनका के ऐसे कार्यों पर सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : मैं वैदेशिक व्यापार के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस व्यापार के नाम पर बहुत धोखेबाज व्यक्ति देश को हानि पहुंचा रहे हैं। वैदेशिक व्यापार ऐसे व्यक्तियों पर नियन्त्रण करने में असफल सिद्ध हो रहा है।

मैसूर में चन्नापटनम स्पिनिंग मिल से बम्बई के एक बड़े व्यापारी ने रद्दी रेशम राज्य के एक मंत्री से सांठगांठ करके गड़बड़ की है। इससे राज्य की मिलों को बहुत मुश्किल हुई है।

इस में वैदेशिक व्यापार मंत्रालय के नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है। रेशम बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा के समय मैंने यह बात मंत्री महोदय के ध्यान में लायी थी परन्तु उन्होंने इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की। मैं आशा करता हूं कि वह अब कुछ न कुछ अवश्य करेंगे।

बर्ड एण्ड कम्पनी, कलकत्ता के बारे में यहां अनेक बार प्रश्न उठाया गया है। सीमा-शुल्क विभाग ने इस कम्पनी के यहां मार्च, 1963 में छापे मारे थे। उसके बाद कम्पनी के स्वामित्व के हस्तान्तरण के बारे में कुछ वायदे किये गये थे। परन्तु इसके बावजूद वे वायदे पूरे नहीं किये गये। मार्च, 1965 में कम्पनी पर भारी जुर्माना किया गया था, परन्तु कम्पनी के पास धन नहीं था। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने धोखे वाले और भी अनेक कार्य किये।

एक व्यक्ति, जिनका नाम श्री प्राण प्रसाद है, मंत्रालय में कम्पनी के लिये बहुत प्रयत्न कर रहे हैं।

ऐसी बातों के लिये कौन जिम्मेदार है ?

हमारे देश से अनेक व्यापार प्रतिनिधिमंडल विदेशों को जाते हैं। उन पर बहुत व्यय होता है। इस मंत्रालय के कार्यकरण की जांच होनी चाहिये।

मेरे राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राशियों का बहुत दुरुपयोग किया गया है। मैसूर के कुछ अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राशि किसानों को नहीं दी जाती। इस प्रकार की धांधलियां चेक करने के लिये कोई एजेन्सी होनी चाहिये।

मैसूर में सरकारी धन का पार्टी के कार्यों में प्रयोग हो रहा है। यह बहुत अनुचित है। सरकार को यहां से कुछ अधिकारी भेज कर जांच करनी चाहिये। उनकी रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जाये। मंत्री महोदय आश्वासन दें कि सरकारी धन का पार्टी के कार्य में प्रयोग नहीं होगा।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : कुछ माननीय सदस्यों ने बजट बनाने की प्रणाली की कड़ी आलोचना की है। हमें ध्यान रखना है कि बजट तैयार करने में पूर्व अनुमान लगाने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त नई-नई समस्याएं खड़ी होना भी स्वाभाविक है। मैं बताना चाहता हूं कि 1967-68 के बजट के कुल 148 अनुदानों में कुल 20 मदों में अतिरिक्त व्यय हुआ। इनके अन्तर्गत कुल 26.06 करोड़ रुपये हैं। फिर भी 171.03 करोड़ रुपये की बचत हुई है। कुछ मामलों में अतिरिक्त व्यय होना आवश्यक है। जैसे कि राज्यों की योजनाओं के लिये अग्रिम राशियों के बारे में।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय को कुछ माल खरीदना होता है और उसका विनियोजन अनेक कार्यालयों को करना होता है। इस प्रकार कई बार व्यय अनुमान से अधिक हो जाता है।

डाक तथा तार में स्टोर आदि खरीदने पर अधिक व्यय हुआ है। कुछ माननीय सदस्यों ने वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय के प्रतिनिधि मंडलों के विदेश में जाने पर होने वाले व्यय की आलोचना की है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जब आवश्यक होता है तो प्रतिनिधि-

मंडल भेजे जाते हैं और उन पर होने वाले व्यय का पूर्व अनुमान लगाया जाता है। कई बार अनुमान से अधिक भी व्यय हो जाता है। वैसे हमारे निर्यात में काफी बृद्धि हुई है। वैदेशिक मन्त्रालय इसके लिये सराहना का पात्र है।

श्री बनर्जी ने सरकारी कर्मचारियों के प्रश्न को विशेष रूप में उठाया है और इस मामले को भी उठाया है कि सभा पटल पर माननीय गृह मन्त्री द्वारा दिए गए आश्वासनों पर उचित रूप से कार्यवाही नहीं की गयी है। परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार हड़ताल पर जाने वाले लगभग दो लाख कर्मचारियों में से केवल 800 निलम्बित कर्मचारियों के मामले तय करने शेष रह गए हैं जिन पर शीघ्र ही निर्णय होने की आशा है।

सेवा-भंग करने के मामले को सामान्य रूप में क्षमा कर दिया जायेगा यदि कर्मचारी का व्यवहार 5 वर्ष तक सन्तोषजनक पाया गया, परन्तु यदि कर्मचारी इस अवधि में सेवा निवृत्त होने वाला है तो इस मामले में या तो छूट दे दी जायेगी अथवा इस पर विचार ही नहीं किया जायेगा। गृह मन्त्रालय में इस मामले पर विचार हो रहा है।

Shri S. M. Joshi (Poona) : The Employees who went on strike in accordance with the resolutions of the Trade Unions since recognised by Government have been taken back in their services, but break in their services would mean victimisation of the concerned employees. Since Government have restored recognition to the Trade Unions and Pay Commission is also going to be appointed. Government should adopt policy of Cooperation with their employees.

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : 1960 की हड़ताल पर गए लगभग दो से तीन हजार कर्मचारियों की सेवा में किए गए भंग को अभी तक क्षमा नहीं किया है।

श्री स० मो० बनर्जी : इस सम्बन्ध में माननीय गृह मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री ने आश्वासन दिए हैं। गृह मन्त्री ने संचार मन्त्री को प्रेषित अपने अन्तिम पत्र में लिखा है कि उन व्यक्तियों को जिनका हिंसा के मामलों में सीधा सम्बन्ध नहीं है, नौकरियों पर बहाल कर लिया जाये, परन्तु इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। यह पत्र अन्य समस्त मंत्रालयों में भेजा गया था।

सेवा में भंग आने से वास्तव में तीन लाख से अधिक कर्मचारी प्रभावित होंगे, किन्तु जो कर्मचारी सेवा-निवृत होने वाले हैं, उनको इस मामले में क्षमा कर देना चाहिए। परन्तु देखा गया है कि कोई पदोन्नति नहीं होगी तथा ना ही किसी प्रकार की वेतन वृद्धि होगी, और अधिकारी इसका पूर्ण लाभ उठा रहे हैं। इसलिए जब वेतन आयोग की नियुक्ति होने जा रही है तो इन सब मामलों को नये सिरे से आरम्भ करना चाहिए। प्रधान मन्त्री ने इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया था ..... **(व्यवधान)** अतः उन्हें कोई वक्तव्य देना चाहिए।

श्री प्र० चं० सेठी : इस बारे में माननीय सदस्यों ने जो उत्सुकता दिखाई, मैं उसका आदर करता हूं। परन्तु मेरे पास जो भी सूचना या जानकारी थी, मैं पहले ही सदन में प्रस्तुत कर चुका हूं। इन मनोभावों को मैं अवश्य ही प्रधान मन्त्री एवं गृह मंत्री के समक्ष भेज दूंगा।

श्री विश्वनाथ मेनन (एर्नाकुलम) : सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में क्या हुआ है।

जहां तक सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, यह तो सच है कि सीमा-शुल्क उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारी संघ को मान्यता देने का मामला अभी निलम्बित पड़ा है। इस सम्बन्ध में गृह मन्त्रालय से बातचीत चल रही है तथा आशा है कि इस पर शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा।

वेतन आयोग के निर्देश पद तथा इसके सदस्यों के बारे में अभी निर्णय करना बाकी है। वेतन आयोग की नियुक्ति के बारे में सदन को सूचना दी जा चुकी है, हमने मान्यताप्राप्त कुछ कर्मचारी संघों से निर्देश पदों के बारे में राय मांगी है। उनके उत्तर प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्देश पद का निर्धारण किया जायेगा और तभी माननीय सदस्य इन्हें भली प्रकार जान सकेंगे। ऐसी स्थिति में यह आश्वासन तो नहीं दिया जा सकता कि वेतन आयोग के प्रतिवेदन को बन्धकारी अथवा पंचाट के रूप में माना जायेगा। वेतन आयोग की नियुक्ति सम्बन्धी सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को ध्यान में रखते हुए इस बात का निर्णय किया जायेगा।

अन्तरिम सहायता तो इनकी सिफारिशों का एक भाग ही मानी जा सकती है। वेतन आयोग की इस सिफारिश पर भी सरकार अवश्य विचार करेगी।

कर्मचारियों की कठिनाइयों के बारे में संसद सदस्यों द्वारा मन्त्रियों को लिखे गए पत्रों का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और सदन को इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्णय करना चाहिये। वस्तुतः यह प्रत्येक मामले के गुणावगुणों पर निर्भर करता है। इस सम्बन्ध में परिपत्र जारी कर दिए गये हैं और अनुदेश दे दिए हैं कि अधीनस्थ अधिकारी अथवा कर्मचारी को यदि किसी प्रकार की कठिनाई हो तो उच्च अधिकारी उस पर विचार करके अपना निर्णय दे। तथापि स्थानान्तरण और नियुक्ति के मामले में जहां तक सम्भव हो प्रोत्साहन न दिया जाय। तथापि जहां अधीनस्थ अधिकारियों अथवा कर्मचारियों पर अत्याचार हो या उनकी पदोन्नति में बाधा हुई हों या ऐसे और किसी प्रकार के मामले हों तो सरकार तथा सम्बद्ध विभाग का कर्त्तव्य है कि वह ऐसे मामलों से सम्बन्धित न केवल संसद सदस्यों के पत्रों पर अपितु सार्वजनिक व्यक्तियों के पत्रों पर भी विचार करे।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : एक केन्द्रीय परिपत्र के अनुसार सत्रावसान की अवधि में एन० ई० एस० के खण्ड के समस्त कार्यक्रमों की सूचना संसद सदस्यों को दी जानी चाहिए और उन्हें उन सब कार्यक्रमों में भाग लेने को कहा जाए। परन्तु तुमकुर जिले के जिलाधीश ने इस क्षेत्र के कार्यक्रमों की मुझे बिल्कुल सूचना नहीं दी और केन्द्रीय परिपत्र की अवमानता की। मेरे बार-बार शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री प्र० चं० सेठी : सदन में चल रहे अतिरिक्त अनुदानों के मामले से इस बात का कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी इस बात को ध्यान में रखूंगा।

देहली तथा अन्य क्षेत्रों के व्यावसायिक कलाकारों द्वारा उठाये गए प्रश्न को वित्त मंत्रालय ने पहले ही अवमान्य कर दिया है, फिर भी इस मामले की बाद में जांच करवा लेंगे ।

ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के विकास का जहां तक प्रश्न है, यह एक राज्य सरकारों का मामला है । राज्यों की योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय योजना आयोग इस मामले की आवश्यकताओं पर अवश्य ध्यान देगा ।

श्री लोबो प्रभु : केन्द्र को चाहिए कि वह इस प्रयोजन के लिए अनुदान दे ।

श्री उमानाथ (पुद्दकोटै) : कर्मचारियों को दण्डित करने के प्रश्न, जो हमने उठाया था, के बारे में मंत्री महोदय के अन्तिम विचार क्या हैं ? यदि कोई अभ्यावेदन निष्कपट रूप में किया जाये तो कर्मचारियों को इसके लिए दण्ड दिया जाता है । अतः इस बारे में सरकार की अन्तिम स्थिति क्या है ?

श्री प्र० चं० सेठी : पहले कहा जा चुका है कि यदि कर्मचारियों का कोई वास्तविक ऐसी शिकायत है कि उस पर अत्याचार किया जा रहा है अथवा उसके हितों की उपेक्षा के मामलों के बारे में सम्बद्ध विभाग तथा मंत्री महोदय अवश्य ही ध्यान देंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : किन्हीं वास्तविक तथा समवेदनशील मामलों में, चाहे वह स्थानान्तरण का ही क्यों न हो, सीधे आदेश होने चाहिए कि किसी भी कर्मचारी को इस कारण किसी प्रकार से तंग नहीं किया जायेगा ।

गृह मंत्रालय द्वारा अश्रु गैस पर अतिरिक्त धन व्यय करने के प्रश्न के सम्बन्ध में समस्त संसद् सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता है और वे इस बात पर भी ध्यान दें, जिससे देश में अश्रु गैस का कम प्रयोग हो ।

Shri Molahu Prashad (Bansgaon) : The Zamindari system has not been abolished fully in the country. In order to solve this problem and to amend the criminal laws all the State Agriculture and Home Ministers should be called here and the matter should be decided in consultation with them. Similarly the question of minimum wages should be solved in the conference of the State Lahour Ministers. Then only this problem could be solved.

श्री प्र० चं० सेठी : मैं माननीय सदस्य के सुझावों के प्रति कृतज्ञ हूं । इण्डियन आयरन कम्पनी में गोयंका के शेयरों के प्रश्न के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि हम सरकार की अतिरिक्त मांगों पर चर्चा कर रहे हैं, गोयंका की अतिरिक्त मांगों पर नहीं । अतः इस मामले से सम्बन्धित मैं किसी प्रकार का उत्तर नहीं दे सकता । परन्तु यदि इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रश्न किया जायेगा तो मैं स्थिति को अवश्य ही स्पष्ट करूंगा ।

कुछ सिल्क कम्पनियों तथा मंत्रियों के बीच चल रहे मामलों का उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि वैदेशिक व्यापार मंत्रालय इनकी सहायता कर रहा है । यह प्रश्न भी उठाया गया है कि राज्य सरकारों के लेखों जोखों को देखने के लिये हम किसी अधिकारी को

नियुक्त कर सकते हैं ? इस बारे में वर्तमान परिस्थिति के परिवेश में कोई भी अधिकारी राज्य सरकार के लेखे जोखे देखना पसन्द नहीं करेगा । परन्तु यदि किसी माननीय सदस्य को इस बारे में कोई विशिष्ट शिकायत मिली हो तो वह मुझे दे दें । यदि केन्द्रीय सरकार का मामला होगा तो हम देखेंगे यदि राज्य सरकार से सम्बन्धित हो तो तत्सम्बन्धी राज्य सरकार को भेज देंगे ।

श्री क० लकप्पा : विभिन्न अकालराहत कार्यों के लिए जो केन्द्रीय अनुदान दिये जाते हैं तो राज्य सरकार ने कुछ अधिकारियों तथा मंत्रियों से गठजोड़ करके निधियों का दुरुपयोग किया है और उन्होंने कहा है सड़कों का निर्माण किया जायेगा और रुपया ठेकेदारों को पहुंचा दिया है और रुपया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अहमदाबाद अधिवेशन के लिये ले लिया है । यही एक विशेष आरोप था ।

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1967-68 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें (सामान्य) सभा के मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

The following Demands for Excess Grants (General) for the year 1967-68 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1.	वाणिज्य मंत्रालय	99,592
4.	रक्षा मंत्रालय	18,443
5.	रक्षा सेवाएं—सक्रिय सेना	18,85,15,570
8.	रक्षा सेवाएं—निष्क्रिय	75,03,436
21.	स्टाम्प	14,04,444
26.	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	21,26,534
38.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	7,973
51.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	64,50,698
52.	आदिम-जाति क्षेत्र	93,75,374
60.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	30,414
71.	विधि मंत्रालय	92,584
83.	सड़कें	13,80,433
95.	डाक और तार—कार्य चालनव्यय	1,24,24,596
100.	संसद् विषयक विभाग	2,052
117.	पेंशनों का राशीकृत मूल्य	13,18,710
125.	गृह मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	7,19,365
128.	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	47,45,330

विनियोग (संख्या 5) विधेयक—1969
APPROPRIATION (NO. 5) BILL—1969

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई धनराशियों के अतिरिक्त, व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई धनराशियों के अतिरिक्त, व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री प्र० चं० सेठी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1968, को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई धनराशियों के अतिरिक्त, व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च 1968, को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई धनराशियों के अतिरिक्त, व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि : "खण्ड 1 से 3, सूची, अधिनियमन सूत्रतथा विधेयक का नाम, विधेयक का अंग बने ।"

That clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1 से 3, सूची, अधियिमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये

Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुदानों की अनपूरक मांगें (सामान्य) 1969-70

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL) 1969-70

वर्ष 1969-70 के लिये अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें (सामान्य) प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
			रुपये
	(वित्त मंत्रालय)		
14.	वित्त मंत्रालय	...	5,70,000
	(गृह कार्य मंत्रालय)		
51.	दिल्ली	...	2,12,40,000
	(औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय)		
58.	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय	...	4,97,000
	(सिंचाई और बिजली मंत्रालय)		
67.	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	...	1,000
	(पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय)		
88.	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	...	44,00,000
	(संसदीय कार्य विभाग)		
96.	संसदीय कार्य विभाग	...	2,68,000
	(संसद)		
100.	लोक सभा	...	54,57,000
101.	राज्य सभा	...	21,70,000
	वित्त मंत्रालय		
110.	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	...	14,25,00,000
112.	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	...	1,000
	(सिंचाई और बिजली मंत्रालय)		
124.	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	...	80,00,000

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
14	32	श्री कंवर लाल गुप्त	बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात् कोई अनुवर्ती कार्यवाही करने में सरकार की विफलता ।	100 रुपये
14	33	श्री कंवर लाल गुप्त	राष्ट्रीयकृत बैंकों को कुशलतापूर्वक चलाने में सरकार की विफलता ।	100 रुपये
51	36	श्री कंवर लाल गुप्त	दिल्ली परिवहन उपक्रम और अन्य कार्यों के लिये दिल्ली नगर निगम को अधिक ऋण देने में सरकार की विफलता।	100 रुपये
58	41	श्री कंवर लाल गुप्त	प्रमुख व्यापारिक समवायों के विरुद्ध वे जिनका चोर बाजारी में हाथ है, और उन अफसरों के विरुद्ध, जो उन्हें गुप्त रूप से सहयोग दे रहे हैं, कार्यवाही करने में विफलता ।	100 रुपये
14	50	श्री लोबो प्रभु	एक अनावश्यक कार्य, जिसे काफी हद तक रिजर्व बैंक को सौंपा जा सकता था, में कमी करना ।	100 रुपये
58	52	श्री लोबो प्रभु	कार्य के अनावश्यक वितरण के कारण होने वाला व्यय।	100 रुपये
88	55	श्री लोबो प्रभु	एयर-इंडिया की भाड़ा दरों और सेवाओं के प्रतियोगी गुणों में गिरावट ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
96	56	श्री लोबो प्रभु	राजनीतिक कारणों से किया जाने वाला व्यय जिनसे सरकार को अनुचित लाभ भी होता है।	100 रुपये
112	57	श्री लोबो प्रभु	भारत-सोवियत उद्यमों की गलत योजना और प्रबन्ध।	100 रुपये
124	58	श्री जनेश्वर मिश्र	इलाहाबाद के श्रृंगवेर पुर जल-विद्युत् परियोजना इलाहाबाद, के कार्यान्वियन में देरी और लापरवाही।	100 रुपये
14	72	श्री ओ० प्र० त्यागी	भूमि हीन तथा असहाय लोगों को ऋण देने में बैंकों की असफलता।	100 रुपये
14	73	श्री ओ० प्र० त्यागी	ग्राम क्षेत्रों में बैंक स्थापित करने में ढिलाई।	100 रुपये
110	82	श्री लोबो प्रभु	राष्ट्रीयकृत बैंकों से अर्जित परिसम्पत्ति के लिये कम अदायगी।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
124	83	श्री ओ० प्र० त्यागी	ग्राम्य क्षेत्रों को सस्ती दरों पर तथा आवश्यकताओं के अनुसार बिजली देने में असफलता।	100 रुपये
124	84	श्री ओ० प्र० त्यागी	औद्योगिक और आर्थिक विकास केवल शहरी क्षेत्रों तक में सीमित रखना और ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा।	100 रुपये
14	87	श्री ओ० प्र० त्यागी	विदेशी बैंकों का राष्ट्रीय-करण करने में सरकार की असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
51	88	श्री ओ० प्र० त्यागी	दिल्ली परिवहन उपक्रम को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
51	89	श्री ओ० प्र० त्यागी	दिल्ली नगर निगम को हरिजनों, रिक्शावालों तथा अन्य निर्धन लोगों की सहायतार्थ उसकी प्रार्थना-नुसार सहायता देने में असफलता।	100 रुपये
58	90	श्री ओ० प्र० त्यागी	उद्योगों का सामाजिकरण करने में सरकार की असफलता।	100 रुपये
88	91	श्री ओ० प्र० त्यागी	देश में पर्यटन केन्द्रों का समुचित विकास करने में असफलता।	100 रुपये
124	92	श्री जनेश्वर मिश्र	इलाहाबाद की श्रृंगवेर पुर जल-विद्युत् परियोजना को चालू करने में विलम्ब और लापरवाही।	100 रुपये
58	98	श्री सेझियान	देश भर में उपभोक्ताओं के हित के लिये सीमेंट उद्योग में कीमतों के वर्तमान नियंत्रण को जारी रखने की आवश्यकता।	100 रुपये
58	99	श्री उमानाथ	सीमेंट की कीमतों और वितरण पर नियन्त्रण की वर्तमान पद्धति को जारी रखने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
14	102	श्री पी० पी० एस्थोस	बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंक के कर्मचारियों के कार्मिक संघ अधिकारों में कमी करने के सम्बन्ध में उपबन्धों को हटाने में असफलता ।	100 रुपये
14	103	श्री पी० पी० एस्थोस	राष्ट्रीयकृत बैंकों की गुप्त रक्षित निधियों को जब्त करने में असफलता ।	100 रुपये
14	104	श्री पी० पी० एस्थोस	सहकारी ऋण समितियों, जो गैर-सदस्यों से डिपाजिट स्वीकार करती हैं, के सम्बन्ध में परिपत्र वापिस लेने से रिजर्व बैंक का इन्कार ।	100 रुपये
14	105	श्री पी० पी० एस्थोस	बैंकिंग नीति के लोकप्रिय दिशाओं में परिवर्तन के मार्ग में रुकावट डालने में अधिकारी वर्गों का हिस्सा ।	100 रुपये
14	106	श्री पी० पी० एस्थोस	बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् निर्धन किसानों को ऋण देने में असफलता ।	100 रुपये
14	107	श्री पी० पी० एस्थोस	बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भी लघु उद्योगों को उपयुक्त ऋण उपलब्ध न होना ।	100 रुपये
14	108	श्री पी० पी० एस्थोस	बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सट्टेबाजी के लिए बैंकिंग निधि के उपयोग को रोकने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
14	109	श्री पी० पी० एस्थोस	राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों की कर्मचारी-विरोधी नीति ।	100 रुपये
14	110	श्री पी० पी० एस्थोस	राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए नये अभिरक्षकों को नियुक्त करने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
14	111	श्री पी० पी० एस्थोस	बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बड़े-बड़े उद्योग संस्थानों द्वारा बैंकिंग निधि के दुरुपयोग को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
51	112	श्री पी० पी० एस्थोस	दिल्ली में एक स्थान पर विक्रय कर लगाने की पद्धति लागू करने में असफलता ।	100 रुपये
58	114	श्री पी० पी० एस्थोस	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के मामले सम्बन्धी जांच को पूरा करने में विलम्ब ।	100 रुपये
58	115	श्री पी० पी० एस्थोस	विभाग में अधिकारी बाहुल्य प्रशासन ।	100 रुपये
58	116	श्री पी० पी० एस्थोस	समवाय कार्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बड़ी-बड़ी व्यापारी संस्थाओं का सम्पर्क ।	100 रुपये
58	117	श्री पी० पी० एस्थोस	औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति सम्बन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यवाही न करना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
67	120	श्री पी० पी० एस्थोस	नर्मदा जल विवाद का सौहार्दपूर्ण हल करने में असफलता ।	100 रुपये
67	121	श्री पी० पी० एस्थोस	नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण पर अत्यधिक व्यय ।	100 रुपये
88	122	श्री पी० पी० एस्थोस	यात्रा प्रोत्साहन योजना के नाम पर सार्वजनिक निधि का अपव्यय ।	100 रुपये
96	123	श्री पी० पी० एस्थोस	राजकोष से किये जाने वाले व्यय से सरकारी उप मुख्य सचेतकों को सभी सुविधाएं देना बन्द करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
110	124	श्री पी० पी० एस्थोस	चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों को आवश्यकता से अधिक दरों पर मुआवजा देना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
110	125	श्री पी० पी० एस्थोस	विदेशी बैंकों का राष्ट्रीय करण करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
124	126	श्री पी० पी० एस्थोस	ग्राम विद्युत् कार्यक्रमों के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
124	127	श्री पी० पी० एस्थोस	मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	136	श्री एस० एम० जोशी	सीमेंट नियंत्रण की वर्तमान पद्धति को जारी रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये

सभापति महोदय : इस चर्चा के लिये दो घण्टे नियत किये गये हैं ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जैसलमेर) : हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से सरकारी व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है । देश की आर्थिक अवस्था की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता है । 1950-51 में केन्द्रीय बजट 627 करोड़ रुपये का था जब कि 1969-70 में यह 4000 करोड़ रु० का हो गया है । दूसरी ओर साधारण लोगों की दशा गिरती जा रही है । उनकी दशा में सुधार करने के लिये अब तक कुछ भी नहीं किया गया है ।

इस समय देश में 1 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हैं । चतुर्थ योजना में भी इसका कोई समाधान नहीं किया गया है । दूसरी समस्या देश की जनता को आवास सम्बन्धी सुविधा देने की है । सरकारी अनुमान के अनुसार 8 करोड़ मकानों की कमी है । आज भी हमारे देश में 66 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं ।

इन सब समस्याओं के सम्बन्ध में स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कर रही है ? सभी योजनाओं आदि को त्याग कर पहले हमें इन समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिये ।

अब मैं अर्थ व्यवस्था के दूसरे पहलू को लेता हूं । खाद्यान्नों के मूल्य इस कदर गिरते जा रहे हैं कि किसान अब उर्वरकों का उपयोग करना लाभप्रद नहीं समझते । दूसरी ओर सभी उपभोक्ता वस्तुओं की लागत में काफी वृद्धि हो गई है । किन्तु इसके साथ ही औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है । मांग बढ़ रही है किन्तु उत्पादन नहीं बढ़ रहा है । औद्योगिक उत्पादन के लिये स्वस्थ वातावरण नहीं है । स्वयं सरकारी क्षेत्र में ही प्रति वर्ष 3,500 करोड़ रु० लगता है और उसमें प्रतिवर्ष 35 करोड़ रु० की हानि होती है । इस क्षेत्र में और अधिक विकास नहीं हो सकता है । निजी क्षेत्र के विकास को रोका जा रहा है । हमारा निर्यात व्यापार गिरता जा रहा है । हमारी घाटे की अर्थव्यवस्था 250 करोड़ रु० से भी अधिक की होने जा रही है । यदि इस स्थिति की ओर शीघ्र ध्यान नहीं दिया जाता, तो हमें शीघ्र ही घोर मुद्रा स्फीति का सामना करना पड़ेगा । जब तक सरकार वर्तमान व्यवस्था के रुख को बदलने के लिये उपाय नहीं करेगी, हालत बदलने की नहीं है ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : मैं सभा के समक्ष रखी गई मांगों का समर्थन करता हूं । इसके साथ ही मैं सरकार को राजस्व में हो रही हानि की ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । वेस्पा स्कूटर का विक्रय मूल्य सब खर्च लगा कर 2886.39 रु० बैठता है ।उनका दरिया गंज डिपू प्रति स्कूटर लगभग 125 रु० अधिक ले रहा है । इस प्रकार उन्होंने 30 सितम्बर, 1969 तक की 18000 स्कूटरों की बिक्री पर 20 लाख रु० अधिक प्राप्त किया है । स्कूटर के कई पुर्जे ये अन्य निर्माता से खरीदते हैं और उन पर मोटा मुनाफा लेते हैं ।

स्कूटर निर्माता आटो रिक्शा भी बनाते हैं और उन्हें 2,000 रु० से 2,500 रु० अधिक मूल्य पर बेचा जाता है । ऐसे नगरों को आटो रिक्शाएं आवंटित की गई हैं, जहां इनका प्रयोग नहीं किया जाता है जबकि बड़े शहरों में इनकी भारी कमी है । फिर इस कम्पनी के मैनेजिंग एजेन्ट

द्वारा जो दुर्विनियोग किया जाता है, उसकी जांच होनी चाहिये । एक व्यक्ति एयर इण्डिया से भारत में आये थे और वह अपने साथ हीरे आदि लाये थे । उनका वक्तव्य फाइल संख्या ए० आई० आर० सी० यू० एस० 49/171/69 में 30 जनवरी, 1969 को दर्ज किया गया था । मुझे आशा है मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे ।

तीसरी बात यह है कि इस सभा में जो सदस्य चुनकर आते हैं, वे बहुत शीघ्र ही धनी बन जाते हैं । इसकी भी जांच होनी चाहिये । मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं, यदि माननीय मंत्री चाहें तो मैं उन्हें सभा-पटल पर रख सकता हूं ।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : अतिरिक्त मांगें या अनुपूरक मांगें इस सभा में प्रायः लाई जाती हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि वार्षिक बजट पूरे सोच विचार के पश्चात् तैयार नहीं किया जाता है । इस सम्बन्ध में सरकार का कोई नियोजित कार्यक्रम नहीं होता है । सरकार को चाहिये कि वह निश्चित सिद्धान्तों का पालन करके बजट तैयार करे ।

किसी भी अच्छे बजट का पहला सिद्धांत उसका लक्ष्य होता है । किन्तु दुर्भाग्य से सरकार का एकमात्र लक्ष्य कुरसी से चिपटे रहना है । सरकार को साम्यवादी कल्पना के संसार को छोड़ कर वास्तविकता के जगत में आकर लोगों के लिये योजना बनानी चाहिये ।

केवल नारेबाजी से काम नहीं चलेगा । यदि आप समाजवाद का दम भरते हैं तो अपनी अनुपूरक मांगों से भी यह भावना टपकनी चाहिये । काश इन मांगों में सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत भी दी गई होती, किन्तु ऐसा नहीं किया गया है ।

दिल्ली में श्रेणी एक के 90 प्रतिशत अधिकारियों को मकान मिले हुये हैं किन्तु श्रेणी तीन और चार के केवल 25 प्रतिशत कर्मचारियों को ही आवास सुविधाएं दी गई हैं ।

सरकार को चाहिये कि वह अपने योजना कार्यक्रमों से ऐसे व्यक्तियों को दूर रखे जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये पैसा बनाने में लगे हुये हैं । हमारे देश के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास को सरकार ने ऐसे लोगों के हाथों में छोड़ रखा है जो सरकार के साथ भूत की तरह से चिपटे हुये हैं । क्या सरकार ऐसे लोगों के माध्यम से समाजवाद लाना चाहती है ?

इस सम्बन्ध मैं लिकंन की कुछ पक्तियों का सारांश देना चाहता हूं जो इस प्रकार है :—

"शक्तिशाली को कमजोर बनाकर आप कमजोर को शक्तिशाली नहीं बना सकते ।

अमीरों का खातमा करके आप निर्धनों की सहायता नहीं कर सकते ।

व्यक्ति की स्वतन्त्रता छीन कर आप उसके चरित्र और साहस का निर्माण नहीं कर सकते ।"

यदि सरकार इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करे तो वह निश्चय ही एक नियोजित बजट ला सकती है ।

Shri K. G. Deshmukh (Amraoti) : Sir, I take this opprtunity to ventilate the grievances of the cotton growers. At present the position is that the entire cotton produced is lifted by the traders and the mill owners. The production of cotton comes under the Agriculture Ministry and its marketing under the Ministry of Foreign Trade while the cotton growers are sandwicthed between the Ministries. They have to move from pillar to post for the redressal of their genuine difficulties. It is ironical that on the one hand we are spending our meagre foreign exchange on the import of cotton and on the other hand making the inputs of agriculture costlier. This bumpers the production. Government should set up a cotton corporation which would purchase cotton direct from the producers. This would help stabilsing the prices of cotton.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : सभापति महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव संख्या 98 रखा है, जिसका उद्देश्य सीमेंट की कीमत तथा उसके वितरण पर लगे हुए नियंत्रण की वर्तमान पद्धति को जारी रखना है । यह पद्धति देश के सभी उपभोक्ताओं के हित में है ।

श्री पीलु मोडी : ऐसा नहीं है ।

श्री सेझियान : वर्तमान पद्धति को जारी रखने के सम्बन्ध में सभी संसद् सदस्यों ने जो ज्ञापन तैयार किया था, उस पर इस समय 'नहीं' कहने वाले सदस्य ने भी हस्ताक्षर किये थे ।

श्री पीलु मोडी : मैंने गलती से ऐसा किया था ।

श्री सेझियान : सम्भवतया बाद में वह अपने इस विचार को भी गलत समझने लगें । स्वतन्त्र पार्टी को तथा गलती से हस्ताक्षर करने वाले दो-एक अन्य सदस्यों को छोड़कर शेष सभी व्यक्ति तथा सभी दल इस पद्धति को जारी रखने के पक्ष में हैं । मद्रास और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों और आसाम के उद्योग मंत्री ने केन्द्र को लिखा है कि इस पद्धति को जारी रखा जाए । सीमेंट उद्योग से सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये हैं । मंत्री महोदय ने भी यह बताने की कृपा की है कि परामर्श समिति में भी बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कहा गया है कि अभी इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है । मैं आशा करता हूं कि अभ्यावेदन देने वाले व्यक्ति इस विषय पर पुनर्विचार करेंगे और अपनी सहमति दे देंगे ।

श्री रघुरामैया : मेरा सुझाव है कि आप परामर्श समिति का कोई विवरण न दें । ऐसी परम्परा है कि परामर्श समिति की कार्यवाही के बारे में सभा में कुछ नहीं कहा जाता ।

सभापति महोदय : आप उसका कोई निर्देश न करें ।

श्री रघुरामैया : आचार्य रंगाजी को भी मालूम है कि सभी दलों में एक समझौता हुआ था कि सभा में परामर्श समिति की कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं किया जाएगा ।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया है ।

श्री सेझियान : मैं विवाद में पड़कर समय नष्ट नहीं करना चाहता । मैं अब भी, मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें क्योंकि सीमेंट पर से नियंत्रण उठाना उपभोक्ताओं के हित में नहीं है । ऐसा करने से एकाधिकारियों, बड़े-बड़े पूंजीपतियों और

एसोसियेटिड सीमेंट कम्पनी को ही लाभ पहुंचेगा। पहले ही सीमेंट उद्योग में उनके 68 प्रतिशत तक हिस्से हैं। इस सम्बन्ध में अभी केवल प्रस्ताव ही किया गया है और एसोसियेटिड सीमेंट कम्पनी ने सीमेंट के मूल्य में 6 रुपये की वृद्धि कर दी है। यदि सीमेंट से नियन्त्रण हटाया जाएगा तो अकेले एसोसियेटिड सीमेंट कम्पनी को 160 लाख रुपये का लाभ होगा। साहू जैन को 83 लाख और डालमिया को 40 लाख रुपये का लाभ होगा।

दूसरे, मैं सूखा तथा बाढ़ सम्बन्धी राहत कार्यों की चर्चा करना चाहता हूं। सभा के विद्वान सदस्य श्री रंगा ने एक बार एक लेख में लिखा था कि बाढ़ तथा सूखे सम्बन्धी राहत-कार्यों के लिए एक स्थायी आवर्ती निधि की स्थापना की जानी चाहिए। यह बहुत अच्छा विचार है और सरकार को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

सूखा राहत-कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा किये जाने से मुझे तामिल नाडू के सम्बन्ध में कही जाने वाली विभिन्न कल्पित बातों, आरोपों और गालियों की याद आ रही है। तामिल नाडू को सूखे के सम्बन्ध में राहत-कार्यों के लिए कुछ धन दिया गया था; इस पर एक माननीय सदस्य ने कहा कि द्र० मु० क० को खरीद लिया गया है। 1964 में श्री शास्त्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस समय स्वतन्त्र पार्टी के श्री दांडेकर ने सरकार का साथ दिया था। मुझे पता नहीं उस समय स्वतन्त्र पार्टी को कितने करोड़ रुपया दिया गया था ? आज तक तामिल नाडू को केवल 13 करोड़ रुपया दिया गया है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : मुझे खुशी है कि आपने स्वीकार तो किया कि 13 करोड़ रुपया मिला था। क्या आपके दल को इससे प्रभावित नहीं किया गया है ?

श्री सेझियान : श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने 13 करोड़ रुपया दिया था। इसमें से 3 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में और शेष 10 करोड़ रुपया ऋण के रूप में दिया गया था। इस 13 करोड़ रुपये की पहली किस्त 19 अप्रैल को दी गई थी तथा 2 करोड़ रुपये की अन्तिम किस्त 26 सितम्बर को मिली थी और कांग्रेस में नवम्बर के मध्य में दरार आई थी। इस समय से पहले कभी यह आरोप नहीं लगाया गया था कि द्रमुक के सदस्यों को खरीद लिया गया है। अब यह आरोप केवल इसीलिए लगाए जा रहे हैं कि हमने दूसरे दल का पक्ष लिया है। यदि यह आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि सूखा अथवा बाढ़ सम्बन्धी राहत-कार्यों के लिए सहायता दी गई है तो यही आरोप उड़ीसा, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के सदस्यों पर भी लगाया जाना चाहिए। इन राज्यों को भी सहायता के रूप में क्रमशः 9 करोड़ 50 लाख, 41 करोड़, 26 करोड़, 8 करोड़, 26 करोड़ तथा 50 करोड़ रुपये दिए गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने आरोप लगाया है कि तामिल नाडू के सदस्यों को खरीदने के लिए 24 करोड़ रुपये दिए गए थे। किन्तु हमें केवल 13 करोड़ रुपये ही मिले हैं। मुझे प्रसन्नता होगी यदि शेष 11 करोड़ रुपये भी हमें मुख्य मन्त्री दे देते हैं। संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायता देना अनिवार्य है। महोदय, तामिल नाडू में भयंकर सूखा पड़ा है। लगातार दो वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अनाज की पैदावार में 100 करोड़ रुपये की कमी हुई है। इसको कौन वहन करेगा ?

तामिल नाडू में 1 करोड़ 80 लाख व्यक्ति सूखे से प्रभावित हुए थे। 9 लाख एकड़ भूमि बंजर हो गई और अनाज में 12.75 लाख टन की कमी हुई। राज्य सरकार को 20 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि तो हुई ही, उसके साथ ही राहत-कार्यों के लिए उसे 18 करोड़ रुपये और व्यय करने पड़े क्योंकि केन्द्र शत-प्रति-शत सहायता नहीं देता। केन्द्र सरकार 75 प्रतिशत तक सहायता देती है। आप देखिए कि 3 करोड़ रुपये के अनुदान से उन्होंने द्रमुक के सभी 25 सदस्यों को खरीद लिया।

इस प्रकार के आरोप लगाने से संसदीय गणतन्त्र का भला नहीं हो सकता। श्री रंगा ने स्थायी निधि स्थापित करने का जो सुझाव दिया है, केन्द्रीय सरकार को उस पर अमल करना चाहिए और एक स्थायी वित्तीय आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : आज आर्थिक क्षेत्र में हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ऋण की अदायगी की स्थिति को देखने पर आश्चर्य होता है। उस रकम में प्रतिवर्ष इतनी तीव्रता से वृद्धि हो रही है कि सम्भवतया भारत के लोग उसका बोझ नहीं उठा पायेंगे।

1966-67 में विदेशों से लिए गए ऋण के सम्बन्ध में अदायगी की राशि 333 करोड़ रुपये थी जो 1968-69 में 375 करोड़ रुपये और 1969-70 में बढ़कर 412 करोड़ रुपये हो गई। चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अध्ययन करते समय मुझे पता चला कि योजनाकाल में यह राशि 2080 करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है। किन्तु मेरा विचार है कि यह राशि इससे भी अधिक होगी। हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा था कि सम्भवतया कुछ ही वर्षों में भारत को निर्यात से होने वाली सभी आय को अपने ऋण चुकाने के लिए, दूसरे देशों को देना होगा। 1966-67 में ऋणों की अदायगी के लिए दी जाने वाली राशि, भारत द्वारा निर्यात से कमाई जाने वाली राशि का 21 प्रतिशत बैठती थी, 1969-70 में यह 29 प्रतिशत हो गई। मेरा विचार है कि इस बात का खण्डन नहीं हो सकता कि 1973-74 तक निर्यात से कमाई गई सारी विदेशी मुद्रा का 80 प्रतिशत भाग विदेशी ऋणों की अदायगी में व्यय होने लगेगा। यदि स्थिति यही है तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

1966-67 में 1157 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया और 1969-70 में यह बढ़कर 1406 करोड़ रुपये हो गया। आयात-निर्यात की वर्तमान स्थिति में भी व्यापार सन्तुलन हमारे प्रतिकूल है। आयात-निर्यात के सम्बन्ध में नवीनतम आंकड़े ये हैं : आयात 1972 करोड़ रुपये और निर्यात 1406 करोड़ रुपये। यदि ऋण अदायगी की यही स्थिति रही तो इतनी कठिनाई से कमाई गई विदेशी मुद्रा का उपयोग ही क्या किया जा सकेगा। हमें मालूम नहीं कि अदायगी के सम्बन्ध में सरकार ने विदेशी सरकारों से कोई बातचीत की है ? क्या उन्होंने विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय अभिकरणों से अनुरोध किया है कि वे अदायगी के मामले में कुछ ढील दें और हमारी सरकार कितनी सफल हुई है ?

भारत की वित्तीय स्थिति खोखली हो चुकी है। मैंने कहा है कि प्रतिवर्ष भारत को ऋण चुकाने के लिए 450 करोड़ रुपया देना पड़ता है; विदेशी कम्पनियां लाभ के रूप में बहुत-सा धन बाहर भेजती हैं, तकनीकी जानकारी के आयात के लिए भी धन देना पड़ता है और रॉयल्टी तथा कच्चे तेल के आयात के लिए भी अदायगी करनी होती है। यदि इन सबको मिला लिया जाए तो यह राशि लगभग 700 करोड़ रुपये वार्षिक बैठती है।

मैं आपके विचारार्थ यह बात भी कहना चाहता हूं कि विदेशों की बहुत-सी निजी कम्पनियों ने भी यहां धन लगाया हुआ है। वे औसतन 19 से 22 प्रतिशत लाभ कमाती हैं और 'एस्सो' तथा कालटेक्स के सम्बन्ध में यह 9 से 12 प्रतिशत तक बैठता है। यदि स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया गया तो मुझे मालूम नहीं कि देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है? योजना का यह अर्थ नहीं कि सरकारी व्यय को पांच वर्ष के काल में फैला दिया जाए। योजना स्वतः उत्पादक होनी चाहिए, स्वतः अर्थ प्रबन्धक होनी चाहिए और उत्पादन प्रधान होनी चाहिए। किन्तु हो क्या रहा है? आपको इसे रोकना चाहिए।

अब मैं अदायगी सम्बन्धी स्थिति की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अमेरिका के 'विजनस इन्टरनेशनल' ने कहा है कि "यद्यपि भारत में विदेशी मुद्रा की अत्यन्त कमी है किन्तु फिर भी ऋणों की अदायगी के सम्बन्ध में कुछ ही देश भारत का मुकाबला कर पायेंगे।"

एक बात कहकर मैं समाप्त करता हूं। हाल ही में उर्वरक के उपभोग में 20 प्रतिशत की कमी हुई है और कुछ महीने पहले हमने सरकार से अनुरोध किया था कि इस सम्बन्ध में वह विदेशों से आने वाले विशेषज्ञों के परामर्श पर न चले।

उर्वरक बनाने के हमारे अपने कारखाने हैं। हमें बाहर से उर्वरक मंगाने की बजाय अपने कारखानों को वैज्ञानिक ढंग से चलाना चाहिये और उत्पादन को बढ़ाना चाहिये। सरकार से मेरा निवेदन है कि अनाज तथा उर्वरकों का आयात करने से पहले देश में इनकी वास्तविक मांग का पता लगाना चाहिये।

सरकार को विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। अन्यथा ये बैंक अपनी शाखाएं लगातार खोलते जायेंगे और अपनी जमा राशि बढ़ाते रहेंगे, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंक उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेंगे। इसलिये सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिये।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Demand No. 45 relates to the provision of more judges. Delhi, Himachal Pradesh and Haryana are Hindi Speaking States. The High Courts of these states should be given freedom to deliver their judgments in Hindi and the hearing should also be conducted in Hindi. Such an action is necessary in the case of High Court. This arrangement should be made at least by 1970. No where it has been provided in the official Languages Acts or in the Constitution that such an arrangement can be made only when such requests are received from the High Courts. As such this matter should be given priority.

Demand No. 67 relates to the appointment of a tribunal for solving the Narmada waters dispute. The Government appoint impartial persons on such commissions and spends lakhs of rupees. When the reports of these commissions are received, they are not implemented for example, the Shah Commission report on Chandigarh has not been implemented as yet. Tension has been created in Punjab and Haryana as a result of the non-acceptance of the recommendations of the Shah Commission. My submission, therefore, is that the Government should accept the recommendations, of such impartial Commissions. Otherwise, what is the use of appointing them and wasting crores of rupees on them. In regard to Chandigarh, the best solution in my opinion will be the verdict of the residents of Chandigarh as was done in the case of territory of Goa on Demand No. 51 which relates to Delhi Municipal Corporation. I have to say that the symptoms of slavery are still seen in the capital of India even after 22 years of independence. The names of Curzan Road, Canning Road, the Irwin Hospital, the Willingdon Hospital etc. should be replaced by suitable Indian names. The Municipal Corporation should be asked to expedite this matter.

***श्री पी० पी० एस्थोस** (मुवत्तुपुजा) : अनुदानों की अनुपूरक मांगों के रूप में सबसे अधिक राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों की विनियोजित राशि के भुगतान के लिये मांगी गई है। इन निदेशकों को इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि पिछले अनेक वर्षों में उन्होंने लाभांश के रूप में अपनी विनियोजित पूंजी के 400-500 प्रतिशत से भी अधिक राशि प्राप्त कर ली है। क्षतिपूर्ति के रूप में इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने की बजाय बेहतर यही होता यदि बैंकिंग अधिनियम में इस आशय का संशोधन किया जाता कि उन्हें कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा या केवल 10 या 15 प्रतिशत मुआवजा ही दिया जायेगा जैसी कि संविधान में व्यवस्था है। अनेक बार यह कहा गया है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से कृषकों, छोटे उद्योगपतियों तथा निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचेगा। परन्तु अभी तक उन्हें उससे कोई भी फायदा नहीं पहुंचाया गया है। यह कहा गया है कि न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है और जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता, कुछ लाभ नहीं हो सकता। यह फैसला कब होगा ? क्या फैसला तभी होगा जब भूखों मर रहे किसान तथा छोटे उद्योगपति मर जायेंगे ?

यह सरकार समाजवाद का नारा लगाती है परन्तु इसमें विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का तनिक भी साहस नहीं है जिनके पास देश की अधिकतर आय जमा है।

औद्योगिक क्षेत्र में भी वही नीति अपनाई जा रही है जो पिछले 22 वर्षों से अपनाई जा रही थी। मैं केरल से आता हूं और केरल इस मामले में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। पिछले वर्षों में केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा इतने सारे वक्तव्य दिये जा चुके हैं कि केरल में यह किया जायेगा, वह किया जायेगा, आदि आदि। यह भी कहा गया था कि केरल में मिट्टी का परीक्षण करने के बाद एक जहाज निर्माण कारखाना स्थापित किया जायेगा। परन्तु दस वर्ष हो गये हैं और अभी तक मिट्टी का परीक्षण पूरा नहीं हुआ है। पालघाट में एक सूक्ष्म यंत्र कारखाना

---

*मलयालम में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त रूपान्तर।

*Summarized Translated version based on English Translation of Original Speech delivered in Malayalam.

स्थापित करने के बारे में निर्णय किया गया था परन्तु उसे वहां से किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया है। नेरिया मंगलम में, जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, फाइटो केमिकल कारखाने के लिये श्री जार्ज थामस नाम के व्यक्ति से 8.75 लाख रुपये में भूमि प्राप्त की गई थी परन्तु इस कारखाने को भी अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है जिससे राज्य सरकार को 8.75 लाख रुपये की हानि हुई है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब भी सरकार पिछड़े राज्यों की सहायता करने के लिये कोई योजना बना रही है ? 19 सितम्बर की हड़ताल के सम्बन्ध में केरल में सबसे अधिक कर्मचारियों की छंटनी की गई थी। उनसे बदला लेने की दृष्टि से एर्नाकुलम के विभागीय डाक अधीक्षक ने आदेश जारी किये हैं कि चिकित्सा अवकाश उसी स्थिति में मंजूर किया जायेगा जब आवेदन पत्रों के साथ ऐसे डाक्टरों के डाक्टरी प्रमाणपत्र लगे हुए हों, जिन्हें उनकी स्वीकृति प्राप्त है। गृहकार्य मंत्री द्वारा संसद् में दिये गये वक्तव्य के बाद भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। देश के बहुत से राज्य पानी सम्भरण तथा विद्युतीकरण के मामले में पिछड़े हुए हैं। 14.25 करोड़ रुपये की इस राशि से जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंशधारियों को प्रतिकर देने के लिये मांगी जा रही है, कम से कम 100 गांवों का विद्युतीकरण किया जा सकता है और 10 सिंचाई योजनाएं आरम्भ की जा सकती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा प्रस्ताव लाने का विचार करेगी।

कोचीन में केन्द्रीय सरकार के हजारों कर्मचारी रहते हैं। पिछले कई वर्षों से कोचीन में बसे हुए सरकारी कर्मचारी तथा केरल के संसद् सदस्य यह मांग करते रहे हैं कि कोचीन का दर्जा बढ़ाया जाये। हालांकि कोचीन से छोटे शहरों का दर्जा बढ़ा दिया गया है, परन्तु कोचीन का दर्जा नहीं बढ़ाया गया है।

श्रीमती इला पालचौधरी (कृषनगर) : पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 88 के सम्बन्ध में मुझे प्रसन्नता है कि यातायात संवर्धन योजना कार्यान्वित की जा रही है। कुवैत एयरलाइन्स अपने किरायों में कमी करके यात्रियों से काफी लाभ कमा रही थी। एयर-इंडिया 7000 राउंड ट्रिप टिकट की योजना को कार्य रूप देने जा रही है। इससे अधिक यात्री आकृष्ट किये जा सकेंगे और सरकार को अवश्य ही कुछ आय होगी। कलकत्ता से कूच बिहार और पोर्ट ब्लेयर जैसे कुछ मार्ग गैर-सरकारी विमान कम्पनियों को दिये जाने के समाचार को सुन कर हमारे विमान चालकों ने हड़ताल करने की धमकी दी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या ऐसा किया जा रहा है। हमें ऐसा करने की क्या आवश्यकता है ? मुझे आशा है कि ये मार्ग गैर-सरकारी विमान कम्पनियों को नहीं दिये जायेंगे।

बागडोगरा हवाई अड्डे पर सैनिक अधिकारियों का नियंत्रण है परन्तु असैनिक उड्डयन भवन असैनिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है। उन भवनों की हालत बहुत खराब है। उनकी देखभाल अच्छी तरह की जानी चाहिये। दूसरी बात यह है कि दार्जिलिंग जाने वाले यात्रियों को बागडोगरा हवाई अड्डे पर जो चाय दी जाती है, वह बहुत ही खराब होती है, जबकि

उसे दार्जिलिंग चाय कह कर पिलाया जाता है। इस तरह से पर्यटन तथा भारतीय चाय के निर्यात को कैसे बढ़ाया जा सकता है ? वहां पर अच्छी चाय उपलब्ध करने की दिशा में तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

Shri S. M. Joshi (Poona) : There are a number of Supplementary Demands made in connection with implementing the scheme of nationalisation of Banks. I welcome and support the measure but I would insist that this measure, which is said to be the first step towards socialism should be made effective with greater efficiency and speed so as to benefit the common man in the country. The poorer communities in the country should get their dues out of it.

Now, I want to put a question to the Hon. Minister. I would like to know who would be appointed as Secretary, Jt. Secretary, Additional Secretary etc. in the Establishment Department for which Rupee five lakhs and 70 thousand have been demanded. I am told that certain persons will be taken from the Ministry of Finance. There has always been a complaint in this House that the Government appoints I. C. S., I. A. S., I. F. S. and I. P. S. officers in the Public Sector Undertakings. These officers do not know anything about the working of these undertakings

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

I therefore suggest that the Government should have an independent All India Economic Service comprising of well experienced people from different industries and trades etc. We do not want such people who have no living or interest for socialism. Therefore, we should have at least some persons in each Departments who are committed to Socialism and who are determined to bring it about. The Congress has prepared a 10 point programme which can meet the basic requirements of people, viz food, clothing, lodging, etc. by 1975. Then, there is no opposition to this programme from any corner. Why should not we, start it immediatly and let people know that we are doing what we are committed to and what people of our country desire ? Today, the country is facing the grave problem of unemployment. I suggest that you should determine one or two districts from each State and give work to the people of these districts. This work should be taken up on war basis. Only then you will be able to do something constructive. Gradually this will gain momentum and expansion. Thus you will be able to achieve your goals at least upto 1977 if not upto 1975.

Similarly, you can take up the housing problem. For this purpose interest of class IV employees should be watched. In Patna, there are about 15,000 scavengers whereas there are not even 205 houses for dwelling. Such is the wretched condition of these people, particularly during the Gandhi Centenary Year and still we claim that we are marching towards socialism. Are the Government, prepared to give an assurance that by 1970, every employee working in the conservancy Department, whether in a Corporation, Municipality or town-areas, will not be kept homeless. It matters little if he is given even a small hut ?

We talk of giving facilities to the farmers but still the Land Reform Act has not been passed properly. Several states have not adopted this measure. If there is any difficulty in passing the Law in this Session let there be an Ordinance after this Session and assure the farmers that they will not he evicted from their lands, and that necessary police help will be given to them for their safety.

People are very much in favour of Bank Nationalisation, and any step taken in this direction will put in more enthusiasm among the masses, and nevertheless the people should get the desired benefits of this measure, otherwise people will feel very much discouraged.

The Government should clarify their stand about it.

*श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् (विशाखापतनम्) : सर्व प्रथम मैं मांग संख्या 110 के बारे में बोलना चाहता हूं । जहां भूतपूर्व बैंकिंग कम्पनियों को 24 करोड़ रुपया दिया जाना है, वहां चालू वर्ष के खर्च के लिये लगभग 14 करोड़ रुपया मांगा गया है । यह ठीक है हम सबने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया है, परन्तु यदि सरकार इस सम्बन्ध में आगे की अपेक्षित कार्यवाही नहीं करेगी तो इससे इसकी मर्यादा को चोट पहुंचेगी और यह देश के हित में नहीं होगा । सरकार की इस कार्यवाही का हमने इस उद्देश्य से समर्थन नहीं किया था कि केवल इस कार्यवाही से 22 वर्ष से त्रसित लोगों की सभी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी, अपितु इसलिये कि यह अच्छी कार्यवाही थी और इसके परिणाम अच्छे होंगे । हम केन्द्र में स्थाई सरकार चाहते हैं । सरकार को भी अब आगे की कार्यवाही करने में इसी तरह उत्साह तथा दृढ़ता का प्रदर्शन करना चाहिये, जैसा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते समय किया गया था । सरकार के लिये परीक्षा की घड़ी है । यदि सरकार इस सम्बन्ध में ढीली पड़ेगी तो इसकी मान-मर्यादा खतरे में पड़ जायेगी ।

हमने सरकार की इस कार्यवाही का केवल इसलिये समर्थन किया था कि इससे देश में लोगों को सुविधायें उपलब्ध होगी तथा उन्हें सुख-समृद्धि प्राप्त होगी । परन्तु यदि सरकार सोचे कि क्योंकि उसे काफी बहुमत प्राप्त है और वह चाहे जो करे तो एक दिन यह सरकार कठिनाई में फंस सकती है ; और वह दिन देश के लिये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा । आज देश के लोगों की दशा बड़ी दयनीय है । न रहने को मकान है, न खाने को पर्याप्त भोजन । गांवों तथा नगरों में पेय जल तथा सफाई की स्थिति बड़ी ही शोचनीय है । अनेक बड़े-बड़े नगरों में भी यही स्थिति है । प्रत्येक व्यक्ति की मूल भूत आवश्यकता दो जून का भोजन, पीने योग्य जल तथा रहने योग्य मकान तथा सफाई और अन्य सुविधायें हैं । ये सुविधाएं आप उन्हें दें और फिर आप पायेंगे कि चारों ओर फैली यह अनुशासनहीनता आदि की प्रवृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी । सरकार इस धनराशि को उचित परियोजनाओं में लगाये, ताकि सामान्य नागरिक को लाभ पहुंचे । मैं जानता हूं कि यह मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्णयाधीन है परन्तु फिर भी सरकार इस धनराशि को अच्छी-अच्छी परियोजनाओं में लगाने को स्वतन्त्र है । सरकार को इस सम्बन्ध में विलम्ब नहीं करना चाहिये । इन परियोजनाओं में सामान्य जनता की बेरोजगारी दूर करने में पर्याप्त मात्रा में भोजन, पेय जल तथा आवास की सुविधाएं शामिल की जानी चाहिये । तभी लोगों की स्थिति में सुधार हो सकेगा और यह सभा प्रसन्नता अनुभव करेगी ।

सरकार को लोगों के उत्साह का पूरा लाभ उठाना चाहिये । हम सरकार की हर उस कार्यवाही का समर्थन करेंगे जो कि सामाजिक असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से की जायेगी । देश भी इसमें सरकार को सहयोग देगा । परन्तु सरकार को इस सम्बन्ध में ढिलाई से कार्य नहीं करना होगा अन्यथा वह अपना यश खो देगी ।

---

*तेलगु भाषा में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarized Translated version based on English Translation of Original Speech delivered in Telugu.

गांवों में रहने वाले 60 प्रतिशत लोगों को पेय जल उपलब्ध नहीं होता है। उन्हें इसके लिये दो-दो-तीन-तीन मील दूर घड़े उठा कर ले जाना पड़ता है। अनेक गांवों में तो कुएं भी नहीं हैं। हमारे देश में अनेक नदियां हैं और हम उनका लाभ उठा कर सभी को पेय जल की सुविधा दे सकते हैं। इसके लिये बूस्टर पम्पों आदि की स्थापना की जानी चाहिये। यह बड़ी लज्जा की बात है कि जिस देश में गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी जैसी नदियां बहती हों, परन्तु फिर भी लोग पेय जल के लिये तरसें। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा सरकार को इस बारे में अत्यधिक ध्यान देना चाहिये।

अत: सरकार ऐसी परियोजना तैयार करे जिससे सामान्य लोगों की समस्याएं हल हो सकें। लोग और हमारी संसद् इस बारे में सरकार को पूर्ण सहयोग देने को तैयार हैं। सरकार को इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये लालायित रहना चाहिये। मैं एक बार फिर चेतावनी देता हूं कि सरकार सुस्ती से काम न ले। लोग नियमों आदि की अड़चनों की परवाह नहीं करते उन्हें तो काम से मतलब होता है। आप बाधा डालने वाले नियमों को बदल डालिये, प्रक्रियायें बदल दीजिये ताकि समयानुसार आप कार्यवाही कर सकें, जिससे कि देश के लोगों को खुशहाली प्राप्त हो। सरकार यदि निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी तथा सद्भावना से कोई कार्य करेगी तो निश्चय ही देश के लोगों की दशा में सुधार होगा

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : First of all I would draw the attention of the Hon. Minister towards demand No. 67 which refers to the special commission of enquiry and the Tribunal. You spend money on this setting up of Commission and Committees but you do not get the advantages of their recommendations. Their recommendations are never implemented. You appointed Shah Commission but did not implement all its recommendations and the result is that we are now facing the issue of Chandigarh. In regard to Himachal Pradesh also the Shah Commission had said something. But we were dealt with injustice. The water Disputes Tribunal should have covered Bhakra Nangal issue also. Bhakra Dam has caused us great harm to our people. Delhi is getting power from Bhakra but we are still in the dark. I therefore, request that this issue should be referred to the Tribunal. Let this Tribunal hear all the concerned States and give its decision.

Demand No. 88 pertains to the Ministry of Tourism and the development of tourism. You are spending a lot of money for encouragement of tourism in big cities. But it is of no use. You should encourage it at hilly places. During Summer many people go to hilly areas. You should endure to provide adequate facilities there so that the people are encouraged to go to those places. You should provide good roads, good lodging so as to make those places good tourist centres. The Ministry of Tourism should pay their attention towards Dharmshala, Palampur, Kullu, Manali etc.

Then, as regards Delhi Municipal Corporations, I do not object if you give grants and loans to it, but let me say that this Corporation has now been turned into den of corruptions. I do not know why. It is better if you call Delhi Municipal Corporation as the Delhi Corruption Corporation. The Government should pay adequate attention towards the affairs of the D. M. C. This Corporation is unable to give adequate water, electricity, good roads etc. in the capital. This body may be given enough help but it should ensure all the civic amenities to the people here. The funds of this Corporation should not be wasted.

As regards Judges and connected Staff, it is quite distressing that whereas the number of Judges is on constantly increasing, the cases are getting old. There are cases more than 30 years old which are still pending decision. No attention is being paid for the early settlement of these cases. There should be a maximum time limit for decision in each case. The delay in these matters causes great hardships to the Justice seekers. I request you to make provision for early Justice at less cost.

* **श्री मंगलाथुमाडोम** (मवेलिक्करा) : स्वाधीनता प्राप्ति के 22 वर्ष पश्चात् इतनी देरी से कुछ दिन पूर्व एकाधिकार विधेयक पास हुआ है मगर बड़े आश्चर्य की बात है कि फिर भी सरकार एकाधिकारियों तथा बड़े बड़े उद्योगों के साथ अवैध रियायत बर्त रही है। वर्तमान केरल राज्य की यात्रा करते समय महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद सारे देश की बेरोजगारी की समस्यायें हल हो जायेंगी। परन्तु आप जानते हैं कि आज केरल में क्या हालत है।

सरकार ने हजारी रिपोर्ट प्राप्त होने के बावजूद बिड़लाओं को 27 औद्योगिक लाइसेंस दिये हैं। इससे स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार ने हजारी रिपोर्ट को किस तरह लागू किया है। इससे सरकार की दयानतदारी पर सन्देह होता है।

औद्योगीकरण के बारे में सरकार एक बेकायदा नीति का पालन कर रही है। जिन राज्यों में पहले ही बड़े स्तर पर औद्योगीकरण किया जा चुका है वहां और अधिक उद्योग लाइसेंस दिये जा रहे हैं परन्तु जो राज्य उद्योगों के लिये तरस रहे हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। केरल को ही लीजिये। वहां पालघाट में एक सूक्ष्म औजार फैक्टरी तथा कोचीन में एक शिपयार्ड खोलने का केन्द्र सरकार ने जोर-दार शब्दों में वायदा किया था। 1964 में राज्य के सभी दलों ने संयुक्त रूप से इस सम्बन्ध में विलम्ब के विरोध में प्रदर्शन भी किया था। अब शिपयार्ड तो बनाया ही नहीं जा रहा बल्कि उसके स्थान पर एक गोला बारूद कारखाना स्थापित किया जा रहा है। सरकार की ऐसी क्रियाओं से लोगों के दिलों में सन्देह पैदा होता है।

देश के लिये सर्वाधिक विदेशी मुद्रा केरल द्वारा कमाई जाती है। रबड़ के मामले में उसे प्राय: एकाधिकार प्राप्त है परन्तु फिर भी वहां रबड़ तैयार करने का कोई कारखाना नहीं है। केरल के दो मन्त्रियों ने वित्त मन्त्री से भेंट करके बताया था कि यदि 100 करोड़ खर्च किये जायें तो केरल अपने मछली उद्योग का विकास कर सकता है तथा यदि वहां शिपयार्ड चालू कर दिया जाये तो वहां के युवक जो कि आजकल बेकार बेरोजगार केरल की गलियों में भटकते फिरते हैं उन्हें इस उद्योग में लगाया जा सकता है ; मगर केरल के मंत्रियों तथा जनता द्वारा कई अभ्यावेदन दिये जाने पर भी अभी तक कुछ नहीं किया गया। उल्टे, वहां शिपयार्ड के स्थान पर एक गोला बारूद कारखाना खोला जा रहा है। यह बड़ी आपत्तिजनक बात है।

---

* मलयालम भाषा में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarized Translated version based on English Translation of original speech delivered in Malyalam.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I would like to speak on Demands Nos. 14, 58, 67, 88, 110, 112 and 125.

I want to draw the attention of the House to the most important issue faced by the country today about which Hon. Shri Prem Chand Verma and Shri Prakash Vir Shastri have also expressed their opinion. For the first time, I am compelled to feel that the 55 crores people of the country are doing injustice to 96 lakh people of Haryana. Is it not a matter of great surprise that the judgement given by the highest judiciary of the country and also by two top most I. C. S. Officers is not honoured by the Government ? Is it not quite astonishing that the judgement of the senior most Judge of the Supreme Court has not been implemented ? This is definitely an insult of the judiciary as also of the State of Haryana. If it is, nobody would like to become the Chairman or member of any Board or Commission etc. I want to know why such a step motherly treatment with Haryana only ? What are the reasons for which the recommendations of the Shah Commission on the issue of Chandigarh have not been implemented even after 3 years ? Is it due to the fact that we Haryanvis are courageous, brave, patriotic and not those who harass or threaten the Government ?

But, there is some limit to the patience. We have very brave Jawans who saved the country from the Chinese and Pakistani aggressions. Haryana people are the sons of Mangal Pandey who had shaken the mighty British Empire. 40 thousands of our soldiers sacrificed their lives while working in I. N. A. The soldiers of Haryana have won the highest awards of bravery for their gallant deeds in the battle fields.

Here the point is why the decision of a very Senior Judge of the Supreme Court is not honoured ? What is the obstacle therein ? The subject is being made a political issue which is not at all warranted. Here the decision is required to be made on merit. I have repeatedly asked for an open debate in this House on this issue. Why people talk a story in this matter ?

Let this issue be assessed from any point of view, justice, law, constitution, moral or anything, that Chandigarh should go to Haryana. Shah Commission had no feeling of favouritism for Haryana. They have given their decision on merits of the case. Why it is not implemented ?

Why should we now agree to the suggestion that there should be an opinion-poll ? Why do the Government appoint Commissions if they are not given any importance.

As regards, Chandigarh, sixty per cent of its population is Hindi-Speaking. Kharar area has already been given to Punjab. Here also the sixty five per cent population is Hindi-speaking. In the Middle, Matric and Higher Secondary Schools, in Chandigarh eighty per-cent students have opted for Hindi Medium for their examinations. Out of a total of 12,500 plots, only 2,500 plots are with the Punjabi-speaking people and the rest are with the Hindi speaking people.

It is quite clear from the election of an Hon. Member from Chandigarh to this august House that the people of Chandigarh are in favour of Chandigarh being given to Haryana. Besides, the highest judicial body has also given its verdict that Chandigarh should go to Haryana.

Eighty per cent water of Bhakra was to be given to Haryana but only thirty per cent has been given and the rest, seventy per cent has gone to Punjab. This is sheer injustice. Similarly in regard to high posts, such as secretary, judges, Governor or Vice-Chancellor,

Haryana was never given its due share. If it is thought that the people of Haryana are week and will go on submitting to these injustices it is very wrong impression. It is high time for the Government to realise the feeling of the people of Haryana and implement the recommendations of the Shah Commission. Otherwise they will be left with no alternative expect to revolt.

संसद कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस विषय को 5 बजे समाप्त हो जाना चाहिए। अनुदानों की अनुपूरक मांगों (मनीपुर) तथा अनुदानों की अनुपुरक मांगों (बिहार) के लिये एक-एक घन्टे का समय निर्धारित किया गया था। विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इस विषय के लिये आधे घन्टे का समय बढ़ाया जाये। अत: यह विषय साढ़े पांच बजे पूरा हो जायेगा। इस बात पर सहमति हो गई है कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों (मनीपुर) को बिना चर्चा के पारित कर दिया जायेगा और अनुदानों की अनुपूरक मांगों (बिहार) को साढ़े पांच बजे चर्चा के लिये लिया जायेगा और साढ़े छः बजे पारित कर दिया जायेगा।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : The Demands for supplementary Grants do not reflect any change in Government's financial policy. There is no impression given about Ten Point Programme. It also does not include any demand for the assistance of the backward areas. As regards nationalisation of banks, it is not understood why compensation is being paid to them. If at all the compensation is to be paid then why have the whereby banks been excluded ?

So far as irrigation is concerned, there is great need for early completion of the Gandak Canal in Bihar. The Land of farmers has been acquired for this purpose but they are not getting any water. If some arrangement is not made whereby the farmers get water, the situation may take serious turn there. Along with the Gandak Canal, there are two other projects in the State, namely Bagmati and Adhwara. If these three projects are completed, nearly 60 lakhs tons of foodgrains will become available for the country.

The question of Rajasthan Canal also needs careful consideration. Since Rajasthan is always in the grip of famines and droughts, the work of the Rajasthan Canal should be completed as early as possible so that the production of foodgrains may be increased.

The Government always talks about socialism but what have they done for the people belonging to lower income group ? In these supplementary demands also money has been asked to pay to the high officers. But no attention is being paid to the difficulties of the non-gazetted and class IV employees. Similarly there is nothing in the budget to indicate that Government propose to do anything for the backward and landless people of the country. In Bihar the peasants are fighting for land rights and thousands of cases are pending in courts. These cases should be decided expeditiously so that the peasants are saved from unnecessary harassment.

Shri Newal Kishore Sharma (Dausa) : I would like to speak on Demand Nos. 88, 124, 110 and 112. Rajasthan has a special political, geographical and historical importance. A large part of Rajasthan has always been facing famines and droughts. Last year 24 districts out of 26 districts were under the grip of serious famines and this year also 10 districts are famine affected. In order to rid the people from famine and to step up the tempo of develop-

ment there, it is necessary that more and more money should be spent there. But the State Government is faced with serious financial difficulties due to the recurring famines and similar other troubles. The development of Rajasthan has come to stand-still. Therefore, the Central Government should come to the rescue of the state and to give special assistance to it.

The Rajasthan Canal Project is likely to go a long way in solving the country's food problem. Originally it was started as a Central Project but later on it was transferred to the State Government which cannot complete it even in the next 10 years. As long as this project is not completed the problem of famines will continue cause troubles to the people of the state. Therefore, the Central Government should take up the work of Rajasthan Canal and complete it as soon as possible.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : यह बजट देश की समस्याओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया। देश में बेरोजगारी उत्तरोत्तर तेजी से बढ़ती जा रही है। अत: बेरोजगारी को दूर करने तथा देश को सम्पन्न बनाने के लिये देश के पिछड़े तथा अल्प विकसित भागों में उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए ।

मैं मनीपुर के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि वहां की मांगों पर चर्चा स्थगित कर दी गई है। वहां राष्ट्रपति का शासन लागू होने के कारण उस राज्य की मांगों पर यह चर्चा करनी पड़ रही है। कांग्रेस के दो पक्षों के बीच विवाद के कारण राष्ट्रपति का शासन वहां पर लागू करना पड़ा ।

मनीपुर के लोग यह मांग कर रहे हैं कि उस राज्य को पूरे राज्य का दर्जा दिया जाये। किन्तु सरकार इस मांग को गोली के बल पर और शक्ति के बल पर दबा रही है। सरकार द्वारा गोली चलाये जाने के कारण अनेक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रधान मंत्री की सितम्बर को इम्फाल की यात्रा के दौरान लोगों ने उनसे पूछना चाहा कि क्या मनीपुर को पूरे राज्य का दर्जा दिया जायेगा किन्तु इसका उत्तर उन्हें गोली से दिया गया।

मनीपुर राज्य के औद्योगिक विकास के लिये अब तक कोई भी ठोस कार्य नहीं किया गया है। इसके लिये यह तर्क दिया जाता है कि वहां पर कच्चा माल उपलब्ध नहीं है इसलिये वहां पर उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकती। इस तर्क में कोई सार नहीं है। आसाम में तेल मिलता है किन्तु वहां पर कोई तेल शोधक कारखाना नहीं है।

यदि सरकार वास्तव में समाजवाद में विश्वास रखती है तो देश के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिये ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। किन्तु हम देखते हैं कि इस सम्बन्ध में सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार को इस समस्या पर इस ढंग से विचार करना चाहिए जिससे मनीपुर के उद्योगों सम्बन्धी असंतुलन को दूर किया जा सके और मनीपुर का विकास किया जा सके ।

जहां तक लोकप्रिय सरकार का सम्बन्ध है, यह सच है कि वहां पर विधान सभा भंग नहीं की गई परन्तु जिस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त है, उसे सरकार बनाने की अनुमति भी नहीं दी गई।

श्री एम० मेघचन्द्र (आन्तरिक मनीपुर) : सभा को पता है कि मनीपुर में 16 अक्तूबर, 1969 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और तब से वहां नौकरशाही और पुलिस का शासन चल रहा है। नौकरशाही शासन ने मनीपुर में कई अप्रत्याशित समस्याओं को जन्म दिया है। क्रान्तिकारी सरकार के बहाने से अथवा कुछ अन्य बहानों से लोगों को गिरफ्तार और नजर बन्द किया जा रहा है, विद्यार्थियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है और पहाड़ियों में पुलिस बल तथा सैनिकों द्वारा तबाही की स्थिति पैदा की जा रही है आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि मनीपुर के उखरूल क्षेत्र में 8वीं गार्ड आर्मी लोगों को बहुत अधिक कष्ट दे रही है। वे लोगों को खेल के मैदान में एकत्र करके उनको उल्टा लटका रहे हैं।

इतना ही नहीं इनमें से कुछ लोगों को सेना शिवरों में लगातार एक महीने तक रोक लिया जाता है। जब पुलिस द्वारा काम अपने हाथ में लिया जाता है और सैनिकों द्वारा गलत काम किये जाते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता कि मौलिक अधिकारों की रक्षा की जायेगी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनीपुर के विकास कार्यालय को सुरक्षा आयुक्त तथा पुलिस इन्सपेक्टर जनरल द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है। यह लज्जाजनक है कि विकास कार्यालयों को पुलिस स्टेशन के अन्दर लाया जाता है। हम विकास और समाजवाद की बातें कर रहे हैं लेकिन यह क्या हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में विकास कार्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा किया जा रहा है। आप सुरक्षा सैनिकों को जानते हैं, उनके पास बहुत सा लेखा बाध्य तथा बिना लेखा परीक्षा किया धन है। मुझे बताया गया है कि मुख्य आयुक्त ने इन सुरक्षा सैनिकों के साथ सांठगांठ करके एक बड़ी धन राशि एकत्र कर ली है।

अतः स्वाभाविक रूप से हमें कहना पड़ेगा कि नौकरशाही का यह शासन समाप्त होना चाहिए। और जितनी जल्दी इसे समाप्त किया जायेगा उतना अच्छा होगा।

और भी कई बातें ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में मनीपुर के लोग समझते हैं कि उनकी अपेक्षा की गई है। वहां कोई उद्योग नहीं है। यहां तक की चौथी पंचवर्षीय योजना में केवल 50 लाख रुपये नियत किये गये हैं, वह भी तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण के लिये।

कलकत्ता में एक सम्पर्क-गृह है जिसे मनीपुर हाउस कहते हैं। नौकरशाह कहते हैं कि यह सम्पर्क गृह सरकारी अधिकारियों के लिये है न कि जनता अथवा निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिये। एक सरकारी नौकर वहां केवल 2.50 रुपये देकर ठहर सकता हैं जबकि एक संसद सदस्य को 20 रुपये देने पड़ते हैं। इस प्रकार नौकरशाही शासन चल रहा है।

हमें मनीपुर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध है कि मनीपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जाना चाहिये, मध्यावधि चुनाव किये जायें और मनीपुर को पूरे राज्य का दर्जा दिया जाय।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : यह खेद की बात है कि राष्ट्रीय बैंकों के अंश-धारियों को विशेषतः प्रत्येक अंशधारी को देय 5,000 रुपये की राशि, मुआवजे के समय देने से

विलम्ब किया जा रहा है। अत: मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि एक महीने के अन्दर प्रत्येक अंशधारी को 5,000 रुपये दिये जायें और शेष राशि 31 मार्च, 1970 से पहले चुका दी जाये।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद की कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है। इसके लिये सरकार यह तर्क देती है कि यह मामला भी उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। किन्तु सरकार उच्चतम न्यायालय से राहत देने की अनुमति मांग सकती है और जिन महत्वपूर्ण कार्यों में विलम्ब नहीं किया जा सकता, उन्हें आरम्भ किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ बैंक ढांचे के पुनर्गठन की योजना अविलम्ब सभा के सम्मुख लाई जानी चाहिए। केन्द्रीय बैंक बोर्ड गठित किया जाना चाहिए और उसके गठन की शीघ्र घोषणा की जानी चाहिए। बैंक बोर्डों का भी पुनर्गठन किया जाना चाहिए और बैंक सम्बन्धी नीति का भी पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। ऋणों के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने में शीघ्रता न होने से बैंकों के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय यह आश्वासन दिया गया था कि कम तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों को बैंकों से ऋण दिया जायेगा। मंत्री महोदय को इस पहलू पर विचार करना चाहिए और इस योजना की क्रियान्विति के लिये शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

अभी हाल तक थोक मूल्य सूचकांक लगभग 225 था। किन्तु अकस्मात हमें बताया गया है कि यह घटकर 160 हो गया है : यह वित्त मंत्रालय के विशेषज्ञों द्वारा हिसाब में हेर फेर करने का एक उदाहरण है। बिना संसद की अनुमति के आधार वर्ष 1952 से बदल कर 1962 कर दिया गया है। क्या इस तरह मूल्य सूचकांक कम करना उचित है। थोक सूचकांक का आधार वर्ष बदलने के लिये सरकार को विधिवत एक अधिसूचना जारी करनी चाहिए थी। मंत्री महोदय को थोक मूल्य सूचकांक के लिये फिर से आधार वर्ष 1952 मानना चाहिए जिससे मूल्य सूचकांक सही मालूम हो सके और लोगों को यह पता लग सके कि उनकी स्थिति क्या है और पैसे का वास्तविक मूल्य क्या रह गया है।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटे) : मुझे केवल दो बातें ही कहनी हैं पहली यह कि सरकार को सीमेन्ट पर से नियंत्रण नहीं हटाना चाहिए जिसे 1 जनवरी 1970 से कार्य रूप देने का प्रस्ताव है क्योंकि ऐसा करने से एकाधिकारी अवश्य ही उसके मूल्य बढ़ायेंगे, उन्होंने सरकार को मूल्य न बढ़ाने का जो वचन दिया है उसका वे पालन नहीं करेंगे क्योंकि तीन वर्ष हुए उन्होंने सरकार को सीमेन्ट उद्योग का विस्तार करने के सम्बन्ध में वचन दिया था जिसके लिये सरकार ने उन्हें 4.50 रुपये अथवा 5 रुपये प्रति टन अतिरिक्त धन दिया था। लेकिन उन्होंने उसका पालन नहीं किया इसलिये हमें उन पर यकीन नहीं करना चाहिये।

दूसरी बात चण्डीगढ़ के बारे में है। आज पंजाब और हरयाणा के लोगों के बीच इस प्रश्न को लेकर बहुत कटुता पैदा हो गई है और लोग धमकियों आदि के रूप में बहुत अप्रिय रवैया अपना रहे हैं जिसके लिये हम केन्द्रीय सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। इन राज्यों के पुनर्गठन के समय हमारे दल का विचार यह था कि न्याय के अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को मिलना

चाहिए। जहां तक आयोग का सम्बन्ध है, यह केन्द्रीय सरकार की एक चाल थी ताकि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई जारी रहे और केन्द्रीय सरकार का हाथ क्षेत्रों के ऊपर रहे। हमारा दृष्टि-कोण अब भी यही है कि न्यायानुसार चण्डीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मेरा पहला कटौती प्रस्ताव राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये प्रस्तावित एक पृथक सचिवालय बनाने से सम्बन्धित है। राष्ट्रीयकृत बैंकों का संचालन करने के लिये एक सरकारी विभाग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिये समुचित प्राधिकरण रिजर्व बैंक है, इसलिये, यदि उसके लिये सचिवालय बनाया गया, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की सफलता की कोई आशा नहीं रहेगी।

दूसरा कटौती प्रस्ताव वैदेशिक व्यापार कार्य मंत्रालय बनाने के फलस्वरूप औद्योगिक विकास मंत्रालय में अतिरिक्त खर्च से सम्बन्धित है। जब एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में केवल काम बदला गया है और कोई नया काम नहीं दिया गया तो अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इसलिये मेरा सुझाव हैं कि जिस मंत्रालय से काम हस्तान्तरित किया गया है, वहां कुछ छंटनी करके इस मंत्रालय में जो कार्य वृद्धि हुई है उसे पूरा किया जाये।

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये आयोग की अवधि जनवरी से और आगे नहीं बढ़ायी जानी चाहिए क्योंकि इसमें पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है।

विदेशी विमान सेवाओं के साथ कड़ी होड़ करने के लिये इण्डियन एयरलाइन्स के विमान भाड़ों की दरों में 37 प्रतिशत की जो कमी की जा रही है, इससे बेहतर तो यह होगा कि हम अपनी विमान सेवाओं में सुधार करें जिससे कि वे प्रतियोगिता कर सकें। इसके लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए जो यह विचार करे कि विमान भाड़ों में कटौती की जानी चाहिए अथवा नहीं क्योंकि हमें इससे लाभ होने के बजाए भारी हानि हो सकती है।

इसके अतिरिक्त भाड़ा-रियायत केवल भारतीयों तक ही सीमित रखना एक प्रकार से भेद भाव का रवैया है जिसकी उल्टी प्रतिक्रिया हो सकती है। इसी प्रकार बी० ओ० ए० सी० के साथ भाड़ा सहयोग भी केवल एक देश के पक्ष में एक किस्म का भेद भाव ही होगा। अतः सरकार को इस मामले पर फिर से विचार करना चाहिए।

जहां तक कांग्रेस पार्टी के लिये एक और डिप्टी चीफ ह्विप की नियुक्ति करने तथा डिप्टी चीफ ह्विपों के लिये तीन कारों की व्यवस्था करने का सम्बन्ध है, यह सर्वथा अनुचित है कि कांग्रेस पार्टी जिसका वर्तमान आकार घट गया है, अपने ह्विपों की संख्या कम करने की बजाए बढ़ा रही है। यदि उन्हें इतने अधिक ह्विपों की आवश्यकता है, तो उसे अन्य दलों के लिये भी इतना ही धन देना चाहिये ताकि वे उसे अपने ह्विपों पर खर्च कर सकें।

अन्त में मैं ऋषिकेष तथा मद्रास स्थित रूसी औषधि निर्माण तथा चिकित्सा उद्योग समूह को दिये जाने वाले अनुदानों पर आता हूं। इस उद्योग समूह के बारे में बहुत कुछ शिकायतें और त्रुटियां हैं। हमें प्रति वर्ष 3.5 करोड़ रुपये की हानि हो रही है।

सरकार ऋषिकेश में उत्पादन का विविधीकरण करने की सोच रही है। इसके लिये और पूंजी लगानी पड़ेगी जिससे सम्भवत: अधिक हानि होगी। यह देखना आवश्यक है कि क्या यह देश ऐसे तीन उद्योग समूहों का भार वहन कर सकता है जो घाटे पर चल रहे हैं और जिनसे लाभ होने की कोई आशा नहीं है।

श्री बे० कृ० दासचौधरी (कूच-बिहार) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र कूच-बिहार में क्या स्थिति है, वह इस तार को जो मुझे आज मिली है, पढ़ने से स्पष्ट हो जायेगी।

"Marxist Communist Party enforced reign of terror in Chilki Bhat Achal under Kotwali Stop...."

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा में विचाराधीन विषय से सम्बन्धित नहीं है।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : संविधान के अनुच्छेद 256 के अन्तर्गत केन्द्र को राज्य को निदेश देने का अधिकार है कि वह संसद द्वारा बनाये गये कानूनों का पालन करे।

इस तार में आगे यह कहा गया है :

"They looted whole property of eight forward block supporters of that Anchal on Seventeenth stop. Many people left home stop. Police inactive stop they burnt one handloom factory and injured four persons at Pesterjhar in Chakchaka Anchal on fifteenth stop. Police arrested none....."

उपाध्यक्ष महोदय : इसका इस समय कोई सम्बन्ध नहीं है। आप बैठ जाइये।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : ***

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : यह कहा गया है कि मनीपुर के मुख्य आयुक्त ने सुरक्षा अधिकारी के षड़यंत्र तथा सहायता से बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया है, यह भी कहा है कि उसने मनीपुर राजभवन से कुछ हथियार भी किसी तरह प्राप्त किये हैं, इस आदमी का दर्जा बढ़ाकर उसे उपराज्यपाल बनाया गया है और वह राजदूत बनकर बर्मा भी जा रहा है, हम चाहते हैं सरकार इस मामले में जांच करे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व विधि मंत्री जो बसुमती लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, के विरुद्ध भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, जिनके बारे में ब्योरा सभा-पटल पर रखा गया है, क्या कार्यवाही की गई है, मैंने इस बारे में प्रधान मंत्री को भी पत्र लिखा था।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Under demand No. 110, a sum of Rs. 14 crores and 25 lakhs has been demanded for the payment of compensation. There is no need to pay any compensation when property right in this case has been abolished. We could grant this amount if it were asked for providing irrigational facilities etc.

With these words I oppose these supplementary demands.

Shri Ram Charan : The Government have not taken any follow-up action after nationalisation of Banks which shows that it was merely a slogan of pseudo-socialism and a

*** कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

***Not Recorded.

political stint. Anyway, the supplementary demands presented do not give any relief to any of these categories viz. Government employees, farmers, backward classes low income groups and landless agriculturists. So I oppose these demands.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : श्री पाटोदिया का यह कहना कि हमारे निर्यात घट रहे हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था बढ़ रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था और अधिक बिगड़ रही है, सर्वथा गलत और आधारहीन हैं, गत वर्ष हमारे निर्यातों में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इस वर्ष के पूर्वार्ध में औद्योगिक उत्पादन 7.5 प्रतिशत बढ़ा है और कृषि के क्षेत्र में 10 करोड़ टन से अधिक फसल होने की सम्भावना है। किन्तु फिर भी जहां कहीं कमियां होंगीं, हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

जहां तक सब व्यक्तियों के लिये आवास तथा रोजगार की व्यवस्था करने का प्रश्न है, यह कार्य निरन्तर प्रयत्न करने पर हो सकता है और उसमें काफी समय लगता है, इसके लिये हमें एक नीति तथा कार्यक्रम अपनाना पड़ेगा जिसके लिये सरकार प्रयत्नशील है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी ने एक विशेष स्कूटर फर्म के सम्बन्ध में राजस्व प्राप्त न होने के बारे में कहा है, उन्होंने सीमा शुल्क के मामले का भी जिक्र किया है और आगे यह भी कहा है कि कुछ सदस्य संसद में आने के बाद शीघ्र धनी बनना चाहते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वह इन कागजातों को मेरे पास भेज दें हम उनकी अवश्य जांच करेंगे। जहां तक इस विशेष स्कूटर फर्म के राजस्व का सम्बन्ध है, यदि वहां आयकर अथवा सम्पत्तिकर का कोई लीकेज हुआ है, तो हम निश्चित रूप से इस बारे में जांच करायेंगे और यदि मूल्य ढांचे का प्रश्न है, तो इस सारे मामले की जांच कराने के लिये हम एक लागत लेखापाल की नियुक्ति करेंगे, जहां तक सीमा शुल्क के मामले का सम्बन्ध है, हम इस बारे में जरूर जांच करेंगे।

माननीय सदस्य श्री रणजीत सिंह ने मकानों के आवंटन के बारे में कहा है कि 50 प्रतिशत मकान प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को दिये जाते हैं और केवल 25 प्रतिशत अन्य व्यक्तियों को। वास्तव में तथ्य इसके विपरीत हैं। माननीय सदस्य को बजट सम्बन्धी मामलों को समझाने में कुछ समय लगेगा। उन्होंने अब्राहम लिंकन को भी उद्धृत किया है। लेकिन हमें वही चीज करनी है जो हमारी परिस्थितियों, इच्छाओं, आकांक्षाओं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल हो चाहे उसकी प्रेरणा हमें लिंकन जैसे महान व्यक्ति से मिले अथवा किसी अन्य देश से।

जहां तक श्री के० जी० देशमुख द्वारा रुई तथा कपास की समस्या के बारे में उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं इसे वाणिज्य मंत्रालय को विचारार्थ भेज दूंगा। किन्तु जहां तक रुई के उत्पादन का सम्बन्ध है, वह कुछ वर्षों से नहीं बढ़ रहा है और उसकी किस्म में भी इतना सुधार नहीं हुआ है जितना वांछनीय है, इसीलिये हम अब भी बाहरी मुल्कों से 100 करोड़ रुपये मूल्य की रुई का आयात कर रहे है। रुई के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास करने की आवश्यकता है।

श्री सेझियान ने बाढ़ सहायता कार्यों तथा सूखा सहायता उपायों का प्रश्न उठाया है। जब कभी ऐसी प्राकृतिक आपदायें आती हैं, अधिकारियों का एक दल उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने

जाता है और अपनी रिपोर्ट पेश करता है और उस आधार पर अनुदान दिया जाता है, तमिल नाडु को जो सहायता दी गई है, वह उस राज्य को खरीदने अथवा वहां के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने के लिये नहीं किया गया है। तामिल नाडु, उड़ीसा, राजस्थान तथा अन्य किसी राज्य को जो कुछ भी दिया गया है वह वहां का समर्थन प्राप्त करने के लिये नहीं अपितु स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखकर अत्यावश्यक कर्तव्य के रूप में दिया गया है।

श्री उमानाथ तथा श्री सेझियान ने सीमेंट नियन्त्रण का उल्लेख किया था। मैं विस्तार से इसका उल्लेख नहीं करूंगा। सरकार इस मामले में जागरूक है और इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है।

श्री पाणिग्रही ने ऋण प्रभार दायित्व तथा विदेशी ऋण के भुगतान के बारे में कुछ प्रश्न पूछे थे। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अबाध विदेशी मुद्रा के रूप में मूल धन के तौर पर 1118 करोड़ रुपये तथा ब्याज के तौर पर 707 करोड़ रुपये देश से बाहर जायेंगे, जिनका जोड़ 1825 करोड़ रुपये होता है। निर्यात के जरिये अनुमानत: 369 करोड़ रुपये का भुगतान किया जायेगा जिस पर ब्याज की राशि 86 करोड़ रुपये होगी और इस प्रकार इसका जोड़ 455 करोड़ रुपये हो जायेगा। इसलिये इस मद के बारे में कुल जोड़ लगभग 2280 करोड़ रुपये होगा।

इस बात से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि जब तक व्यापार का प्रतिकूल संतुलन दूर नहीं हो जाता, विदेशी मुद्रा की हमारी स्थिति में सुधार नहीं होगा। इसलिये निर्यात को बढ़ाने और आयात को घटाने तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं को देश में बनाने के लिये हर प्रयास किया जायेगा। तस्करी तथा अन्य उन स्रोतों पर भी रोक लगाई जायेगी, जिनसे विदेशी मुद्रा बाहर चली जाती है। इस सम्बन्ध में हर सम्भव उपाय किया जायेगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने नर्वदा न्यायाधिकरण का उल्लेख किया था। न्यायाधिकरण तथा आयोग में अन्तर होता है। यह सम्भव है कि सरकार आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार करे अथवा न करे। परन्तु जहां तक मैं समझता हूं न्यायाधिकरण जो भी निर्णय करेगा वह पंचाट के रूप में होगा, हालांकि मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्य मंत्रियों ने अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने न्यायालयों तथा अन्य नगरों में हिन्दी के प्रयोग के बारे में पूछा है। मैं समझता हूं कि उत्तरोत्तर हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाने लगा है और सम्बन्धित राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अधिक से अधिक हिन्दी का इस्तेमाल करने की वांछनीयता को स्वीकार करेंगे और इस दिशा में उचित कार्यवाही करेंगे।

कर्मचारियों को जो लाभ होने चाहिए थे उनके बारे में श्री एस्थोस ने कुछ बातें कहीं हैं तथा अन्य माननीय सदस्यों ने भी बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा उससे जन-साधारण को जो लाभ होने चाहिए थे, उनका उल्लेख किया था। तथ्य यह है कि अभी तक यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और हम बैंकों को कोई स्पष्ट निदेश देने की स्थिति में नहीं हैं। फिर भी ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि बैंकों ने सही दिशा में काम करना आरम्भ कर दिया है।

श्री एस्थोस तथा एक अन्य माननीय सदस्य ने कोचीन शिपयार्ड सम्बन्धी कुछ पहलुओं का उल्लेख किया था। जहां तक कोचीन शिपयार्ड का सम्बन्ध है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कोचीन शिपयार्ड को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है तथा मित्सूबीसी कम्पनी के साथ बातचीत पूरी हो गई है, पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, भूमि का अर्जन किया जा रहा है तथा 1.24 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है तथा इस वर्ष के लिए और राशि का उपबन्ध किया गया है। हम इस योजना का कार्यान्वियन कर रहे हैं और यह केवल एक नारा ही नहीं है यह एक महत्वपूर्ण योजना है।

जहां तक नगरों का दर्जा बढ़ाने के प्रश्न का सम्बन्ध है हमने लगभग 32 अथवा 33 नगरों का मध्यम-कालीन सर्वेक्षण किया था तथा हम उन नगरों का दर्जा बढ़ाने के बारे में, जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, गम्भीरता से विचार कर रहे थे कि इतने में अन्य अनेक नगरों और राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हो गये। इसलिये यह समूचा मामला अभी तक अनिश्चित पड़ा है। तो भी मैं कहना चाहता हूं कि हर हालत में प्रत्येक नगर का वर्ष 1971 की जनसंख्या के आधार पर दर्जा बढ़ाया जायेगा।

श्री एस० एम० जोशी ने केन्द्रीय आर्थिक सेवा का उल्लेख किया था। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय आर्थिक सेवा वर्ष 1964 से विद्यमान है। परन्तु यदि वह किसी संवर्ग विशेष के बारे में कुछ कहना चाहते हैं और यदि उनके इस संबंध में कोई विशेष विचार हैं, तो वह उन्हें मेरे पास भेज दें, मैं यह देखूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है।

श्री विश्वनाथन् ने बैंकों के बारे में कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार अपोलो 11 और 12 ऊपर गये थे तथा फिर नीचे आ गये थे, इसी प्रकार बैंकों की स्थिति भी नीचे आ रही है। ऐसी बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है, यह मामला अभी न्यायालय के समक्ष है और न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाते ही, हम उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री लोबो प्रभु ने कहा था कि एक नया बैंकिंग विभाग खोला जा चुका है और उस पर धन खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि यह काम रिजर्व बैंक को क्यों नहीं सौंप दिया गया ? मैं कहना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक भी अपना योगदान देगा, परन्तु जब हमने 14 बड़े-बड़े बैंकों को अपने हाथ में लिया है, तो उनके सम्बन्ध में काफी काम किया जाना है और इसके लिए सरकारी स्तर पर भी काफी काम होता है। इसीलिए यह नया विभाग खोला गया है।

श्री प्रेमचन्द वर्मा ने भाखड़ा के लिए एक पृथक् न्यायाधिकरण की मांग की थी। मैं उनकी भावनाएं सम्बन्धित मंत्री को पहुंचा दूंगा।

पर्यटन के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि एयर इण्डिया द्वारा रियायत दिये जाने के कारण शुरू के तीन अथवा चार वर्षों में हमें अवश्य हानि होगी, परन्तु मैं समझता हूं कि समूचे तौर पर यह कार्यवाही एयर इण्डिया को लाभदायक सिद्ध होगी।

श्री रणधीर सिंह ने कहा था कि वह मांग संख्या 14, 45, 110, 112, 67, 124 तथा 88 के बारे में बोल रहे हैं, परन्तु वह चण्डीगढ़ के बारे में ही बोलते रहे। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं। परन्तु यह एक ऐसा मामला है जो समस्त देश के सामने हैं और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री मधुकर ने गंडक परियोजना तथा बिहार के विकास के सम्बन्ध में कुछ बातें कही थीं। चूंकि बिहार की मांगों पर इस सभा में चर्चा की जायेगी, इसलिए इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री नवल किशोर शर्मा ने राजस्थान के लिए सूखा-राहत-कार्यों के सम्बन्ध में कहा था। जहां तक सूखा-राहत-कार्यों का सम्बन्ध है राजस्थान को अब तक लगभग 18 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं।

श्री हेम बरुआ तथा श्री मेघचन्द्र ने मनीपुर की स्थिति के बारे में कुछ बातें कही थीं। यह कहा गया था कि अतिथिगृह में संसद् सदस्यों को ठहरने की अनुमति नहीं है। मेरी जानकारी यह है कि ऐसी बात नहीं है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : जब एक संसद् सदस्य स्वयं कहता है, तो आपकी जानकारी का क्या आधार है ?

श्री उमानाथ : आपको इस बात की जांच करनी चाहिए कि संसद् सदस्यों को वहां ठहरने से अधिकारियों द्वारा कैसे रोका गया।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं इसकी जांच करूंगा।

हम मनीपुर की अवहेलना नहीं करना चाहते। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मनीपुर के लिये 12 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई थी, जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना में 27 करोड़ से अधिक रुपये की राशि नियत की गई है।

श्री उमानाथ : ऐसा प्रतीत होता है कि वे अधिकारियों से 2.50 रुपये लेते हैं, जबकि संसद् सदस्यों से 20 रुपये।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं इस बात की जांच करूंगा।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी ने पूछा था कि बैंकों को प्रतिकर क्यों नहीं दिया जा रहा और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं। पहले तो हमें बैंकों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं। रिपोर्टें प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 18 जनवरी, 1970 है अभी तक हमें केवल चार बैंकों से रिपोर्टें प्राप्त हुई है। हम आशा करते हैं कि शेष बैंक भी शीघ्र ही रिपोर्ट देंगे। कुछ हद तक इस मामले में विलम्ब का कारण यह भी है कि यह मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है और वहां प्रतिकर के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा। अतः मैं कहना चाहता हूं कि कानूनी स्थिति स्पष्ट होते ही शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

श्री लोबो प्रभु ने बी० आई० सी० की जांच का प्रश्न उठाया था। मैं समझता हूं कि जांच की अन्तिम तिथि जनवरी, 1970 है और मैं आशा करता हूं कि आयोग इस जांच के लिये और अधिक समय नहीं मांगेगा और अपनी जांच पूरी कर लेगा। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1969-70 की अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें (सामान्य) मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं

The following Demands for Supplementary Grants (General) for the year 1969-70 were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
	(वित्त मंत्रालय)		
			रुपये
14	वित्त मंत्रालय	...	5,70,000
	(गृह कार्य मंत्रालय)		
51	दिल्ली	...	2,12,40,000
	(औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय)		
58	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय	...	4,97,000
	(सिंचाई और बिजली मंत्रालय)		
67	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	...	1,000
	(पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय)		
88	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	...	44,00,000
	(संसदीय कार्य विभाग)		
96	संसदीय कार्य विभाग	...	2,68,000
	(संसद)		
100	लोक सभा	...	54,57,000
101	राज्य सभा	...	21,70,000
	(वित्त मंत्रालय)		
110	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	...	14,25,00,000
112	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	...	1,000
	(सिंचाई और बिजली मंत्रालय)		
124	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	...	80,00,000

विनियोग (संख्या 6) विधेयक
APPROPRIATION (NO. 6) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री प्र० चं० सेठी : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड, 2,3,1 अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2, 3, 1 अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 2, 3, 1, the Sehedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (मनीपुर)
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (MANIPUR)

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1969-70 के लिये अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें (मनीपुर) प्रस्तुत की गई
The Following Demands for Supplementary Grants (Manipur) for 1969-70 were moved

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	भू-राजस्व	92,000
10	सामान्य प्रशासन	11,85,000
13	पुलिस	31,45,800
15	शिक्षा	18,51,000
16	चिकित्सा	77,000
17	लोक-स्वास्थ्य	1,57,000
19	पशु-पालन	1,14,000
22	सामुदायिक विकास	1,48,000
34	विविध	13,27,000
41	लोक-निर्माण विभाग की इमारतों पर पूंजी परिव्यय ...	10,00,000

उपाध्यक्ष महोदय : सभा इस बात पर सहमत हो गई है कि इन मांगों पर चर्चा नहीं की जायेगी, इसलिये मैं इन मांगों को मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1969-70 की अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें (मनीपुर) मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The following Demands for Supplementary (Manipur) grants for the year 1969-70 were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
			रुपये
1	भू-राजस्व	...	92,000
10	सामान्य प्रशासन	...	11,85,000
13	पुलिस	...	31,45,800
15	शिक्षा	...	18,51,000
16	चिकित्सा	...	77,000
17	लोक-स्वास्थ्य	...	1,57,000
19	पशु-पालन	...	1,14,000
22	सामुदायिक विकास	...	1,48,000
34	विविध	...	13,27,000
41	लोक-निर्माण विभाग की इमारतों पर पूंजी परिव्यय	...	10,00,000

मनीपुर विनियोग विधेयक, 1969
MANIPUR APPROPRIATION BILL, 1969

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग के अधिकार देने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मनीपुर के संघ राज्य-क्षेत्र की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मनीपुर के संघ राज्य-क्षेत्र की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मनीपुर के संघ राज्य-क्षेत्र की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2,3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adoppted

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2, 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (बिहार), 1969—70

DEMANDS FOR SUPPLEMENTEAY GRANTS (BIHAR) 1969-70

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1969-70 के लिये अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें (बिहार) प्रस्तुत की गई

The following Demands for Supplementary Grants (Bihar) for 1969-70 were moved

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
			रुपये
2	भू-राजस्व (लैंड रेवेन्यू)	...	1,46,000
3	राज्य उत्पाद कर	...	100

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
			रुपए
4	गाड़ियों पर कर	...	7,300
6	पंजीयन शुल्क (रजिस्ट्रेशन फीस)	...	10,500
9	राज्य विधान-मण्डल	...	19,10,200
10	सामान्य प्रशासन	...	7,80,800
11	न्याय प्रशासन	...	3,50,100
12	कारावास	...	43,00,000
13	आरक्षी (पुलिस)	...	11,04,400
15	वैज्ञानिक विभाग	...	100
16	शिक्षा	...	2,15,93,200
17	चिकित्सा	...	9,11,400
18	जन-स्वास्थ्य	...	12,37,800
19	कृषि	...	7,73,200
20	पशुपालन	...	2,200
21	सहकारिता	...	1,27,000
22	उद्योग	...	2,50,300
25	विविध सामाजिक एवं विकास संघठन (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों तथा पिछड़ी जातियों का कल्याण)	...	700
28	बहुधंधो नदी योजना सहित सिंचाई	...	36,00
30	लोक-निर्माण	...	1,10,02,600
31	लोक-निर्माण-स्थापना	...	8,41,800
32	अकाल साहाय्य	...	53,00,000
35	वन	...	3,41,800
36	विविध (ग्राम पंचायत)	...	88,300
37	विविध	...	7,38,800
38	विविध (जन-सम्पर्क विभाग)	...	2,19,600
39	विविध (विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय)	...	8,90,500
40	विविध (नागरिक सुरक्षा)	...	25,500
42	औद्योगिक विकास पर पूंजी उद्व्यय	...	39,54,000
43	अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी उद्व्यय	...	30,00,000
46	राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	...	1,15,39,800

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1969-70 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों (बिहार) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
2	1	श्री क० मि० मधुकर	छपरा जिले में हथुआ रियासत द्वारा दान में दी गई भूदान भूमि के बन्दोबस्त में गड़बड़ी को रोकने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
2	2	श्री क० मि० मधुकर	भूदान भूमि के वितरण में विलम्ब और सर्वदलीय समितियां नियुक्त करने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
2	3	श्री क० मि० मधुकर	मालिकों द्वारा भूदान में दी गई भूमि को, जो कि अभी तक उनके कब्जे में है, कब्जे में लेने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
2	4	श्री क० मि० मधुकर	भूदान भूमि के वितरण में किये गये पक्षपात को रोकने और इस सम्बन्ध में कानूनी रुकावटों को दूर करने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
2	5	श्री क० मि० मधुकर	मधुवन थाने (बिहार) में भूदान भूमि के गलत बन्दोबस्त को रोकने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
2	6	श्री क० मि० मधुकर	भूमिहीनों में भूदान भूमि के वितरण में किये गये पक्षपात को रोकने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
4	7	श्री क० मि० मधुकर	राज्य परिवहन निगम की मोटर गाड़ियों की मरम्मत कराने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
4	8	श्री क० मि० मधुकर	राज्य परिवहन निगम की कई मोटर गाड़ियों के बेकार पड़े रहने को रोकने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
4	9	श्री क० मि० मधुकर	यात्रियों को सुविधाएं देने और उनसे अच्छा बर्ताव करने के लिये राज्य परिवहन निगम को निदेश देने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
4	10	श्री क० मि० मधुकर	राज्य परिवहन निगम को समय पर बसें चलाने के लिये कहने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Although Bihar is rich in natural resources yet it is the most backward State in India. The percapita income in champaran, saharsa and Purnea is the lowest in India although the land is most fertile. The reason for the backwardness of these areas is that the Government have not paid sufficient attention towards them during the last twenty two years. It has been clearly stated in the reports of the Ayangar Commission and Madholkar Commission that the leaders of Bihar indulged in all sorts of nepotism and favouritism and they worked for their personal gains. They have not worked for the common good. All this has resulted in the backwardness of the State of Bihar.

[श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए
Shri M. B. Rana in the Chair]

Even now no attention has been paid to the development of Bihar in the present budget.

Few days ago Members of Parliament and M.L.As belonging to Bihar submitted a memorandum in which they suggested that a development Board might be constituted exclusively for the development of Bihar. This suggustion fell on deaf ears as the bureaucrats are running of Gorvernment of Bihar whose approach towards the problems is anti-people. These bureaucrats do not care even for the representatives of the poeple.

Corruption is rampant at all levels of administration in Bihar. The people are demanding the removal of our Honorary Magistrate, of Champaran who is holding this portfalio for the last ten years and who is notrious for his corrupt practices. Nothing has been done in this regard so far. Peasants and poor workers are being harassed by the Gram Sewaks.

The flood victims of Purnia, Saharsa, Darbhanga and Patna have not been given the relief which ought to have been given to them. A new problem of water-logging is now being faced in the Champaran district. This Question was raised by the Champaran District Committee but nothing has been done so far.

So far as irrigation is concerned no provision has been made by Government for the installation of tubewells; thus the areas which are not served by canals will be lacking irrigation facilities.

The administration of municipalities of Champaran and Muzaffarpur is in a sad state of affairs. The condition of the roads is very bad. Drinking water is short supply. The workers of the Municipalities resorted to strike for the fulfilment of their demands but of no avail. The teaching staff of Patna University also resorted to strike but nothing has been done to meet their demands.

A thermal power plant should be set up somewhere between Muzaffarpur and Motihari to meet the anticipated demand of electricity.

All sorts of agitation are being branded as Naxalbari agitations and are treated by Government likewise.

The owners of the Sugar Mills in Bihar are committing atrocities on the sugarcane growers, the growers are being deprived of the facilities which should accrue to them according to normal rules. They are not being paid the arrears of sugarcane. The price of sugarcane should not be reduced otherwise it will have adverse effect on the production of sugarcane during the next crop season.

With these words I request the Government to solve all these problems of Bihar to make it a prosperous State.

Shri Ramshekhar Prasad Singh (Chapra) : There has been Presidents rule in Bihar for a pretty long time now. There is every possibillity of its being extended. Under this rule the people are finding it difficult to put forth their views to the high officials because the attitude of the bureaucracy is indifferent to their problems. Had there been a popular Government in Bihar this debate would have gone on atleast for four days but here only one hour has been allotted for it. It clearly proves how much respect is shown for the feelings of the people under Presidents rule. Presidents rule should not work on the lines of the Police rule. No telephone connection has been provided in the office of the Civil Surgeon of a hospital located at Chapra. Under a popular Government such things cannot happen.

The bureaucrats have neither time nor funds for the development and relief works but they have put more burden on the exchequer by way of forming eight new districts. In this connection I would like to state that Chapra Sonepur road was damaged during the last floods but the repairs have not since been carried out. The construction of the bridge on this road will provide direct link between Delhi and Assam. But the bureaucracy has no time for all these things. In my view the question of formation of new districts should be left over for the popular Government when it comes into being.

Some posts of collectors have been upgraded to that of commissioners to favour some officers. In this way they are increasing the expenditure but they have no funds for the development works.

The elections to the Panchayats have been withheld. Panchayat Parishads have been established only in two or three districts. The Heads of the Panchayat Parishad are being deprived of their normal rights. If the Government want to improve the working of the Panchayat Parishad then they should be patterned after the Panchayat Parishads of Gujarat and Maharashtra,

After the introduction of the President's rule in Bihar only officials are being represented on the District Education Planning Committees. Necessary representation should be given to the people on these committees.

While concluding I will request the Government to restore the popular Government in Bihar.

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : The law and order situation in Bihar is going from bad to worse. Murders, thefts and dacoities are common in that States. Goondas wearing the badges of political parties are ejecting the owners of the lands and harvesting the crops forcibly. Sometimes it results in bloodshed. This rule of mobocracy should end in Bihar.

The formation of new districts will not only put more burden on the exchequer but will also create dissatisfaction among the people. I have today received a telegram to the effect that Naugacchia bridge is being brought under Begusarai district from the Bhagalpur district. The people of Naugacchia are opposing this move I would, therefore, request that the question of formation of new districts should be left to be decided by the popular Government.

I also want to request the various political parties to shed their differences and form the popular Government there which in my view will definitely be better than the President's rule. The two advisers cannot look into the problems of the people.

The report of the Madholkar Commission has already seen the light of the day and I would request the Government to take action on the basis of the recommendations made therein against the persons who have been found guilty.

The water rates being charged for the water being supplied through the canals for irrigation purposes should not be increased. It has already been increased from twelve rupees per acre to sixteen rupees per acre. It should not be increased further.

The teachers have not been paid salaries for the last so many months in various schools of Bihar. The Government should ensure timely payment of salary to the teachers.

The trees which provide leaves for bidis are being cut. Many workers depend on this industry for their livlihood. These trees should be preserved.

No elections have been held for the municipal committes and notified area committees which have been in the existence for a pretty long time. Necessary arrangements should be made for the purpose.

Silk and lac industries are the oldest industries in Bihar. Although there is one Silk Institute in Bhagalpur yet it does not provide sufficient training to the villagers for rearing the silk worms. If this is done it will solve the unemployment problem in Bihar to some extent. Adequate attention should also be paid to the development of the lac industry.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : We have submitted a memorandum to the Prime Minister and the Minister of Home Affairs in regard to the wide-spread poverty prevailing in Bihar. The officials have stated that many development works have been taken-up and Roads are being constructed for the eradication of wide-spread poverty but we cannot believe these reports as nothing substantial has been done in this regard.

Natural calamities such as floods and famines are also focusing their wrath on Bihar every year. Something should be done to bring them under control.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

The soil of North Bihar is most suitable for the cultivation of tobacco. Attention should be paid to this aspect also.

No allocation has been made in these demands for irrigation. Installation of tubewells and rural electrification can help in eradicating poverty in the State to some extent. Steps should be taken for providing irrigation facilities in the Darbhanga district. The Government should take steps to construct the Dagmara Barrage if for some reasons they cannot take up the work of the construction of Kosi canal. I have come to know that the question of establishing an Agricultural University is attracting the attention of the Government. If that is so I would suggest that Pusa is the best situated place, historically and Geographically for this purpose. I would also request the Government to take steps for the development of the areas covered by the Industrial belt in North Bihar. If the Government is serious in eradicating poverty from the State it should install tubewells instead of installing officers on big posts. It is not proper to allot one hour for the discussion on these demands as Bihar is the second biggest State of India.

Shri Satya Narain Singh (Varanasi) : There is political instability in India and Bihar has become one of its victims.

Bihar is an agricultural State and its biggest problem is development of agriculture. Since the division of the congress much loud talks is being made for bringing radical land reforms but no practical steps have so far been taken in this regard. The big landlords are depriving the agricultural labourers from their legitimate rights. There are still several large holdings in Bihar. I want to know whether the Zamindari system will be abolished or not and the land will be allotted to the tillers who actually cultivate it. The big land lords are harassing the poor people in collusion with big officers.

About three hundred persons attacked a Harijan village on the border of Balia district and killed many people there and the dead bodies were thrown in the Ganga. No action has since been taken in this regard. If such atrocities are allowed to be committed on the poor and down trodden people our democracy will be put in danger. I would, therefore, request the Hon. Minister to take steps for putting an end to these atrocities.

Shri Mudrika Sinha (Aurangabad) : Prhsident's rule have been clamped in Bihar twice and we have had bitter experience of it. All the time is being wasted on the creation of new posts, promotion and transfer of some persons and as a result thereof the development works are at a stand still.

Presidents rules lacks forsightedness also. There is only one perennial canal in South Bihar i.e. sone canal. It derives its water from the Rihand Dam. Now this canal may not get

water from it. I would, therefore, like to suggest that unless a dam at Kutku is constructed the whole area will suffer and the canals will dry up. The North Koel Scheme should be implemented.

Although Bihar is the poorest State yet the electricity rates per unit are the highest there. The servicing charges are three rupees per foot and the minimum charges per horse power are 120 rupees. Inspite of all this the Electricity Board is running in loss.

If appears that Government is considering to impose tax on holding of three acres. It is not proper to do so as the farmers are not getting enough returns from their fields. In this connection I may say that Government should take into account the high cost of manure, electricity, water and other things before imposing any tax on the farmers.

Shri Kedar Paswan (Rosera) : The condition of Bihar has gone from bad to worse during the last twenty-two years. Corruption is rampant at all levels of administration in Bihar. Large sums of money which should have been spent on the development works are going into the pockets of corrupt officials. The big officers are giving contracts to their own men who do not attach much importance to their contracts. The Kosi dam can be quoted as an example. The P.W.D. has failed to construct a hardly 30 to 40 mile long road for Darbhanga to Kusheswar during the last eleven years. This clearly proves how inefficient the administration is. The matter should be looked into.

There is great resentment among the students in Bihar as they feel that big officers taking advantage of their positions are helping their sons and nephews in passing their examinations. This matter should also be looked into.

The unemployment problem should be tackled quickly otherwise it will give birth to many evils. The existing disparities between the low paid and the highest paid employees should be reduced.

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : इन अनुपूरक मांगों द्वारा 138 लाख रुपये की राशि सूखा तथा बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता तथा 168 लाख रुपये की राशि विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के लिए मांगी गई है ताकि वेतनमानों में वृद्धि के कारण विश्वविद्यालय अपने बढ़े हुए व्यय को पूरा कर सकें।

बिहार संबंधी चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र की ओर से 378 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जायेगी जबकि राज्य सरकार अपने साधनों से केवल 103.61 करोड़ रुपये ही जुटा पायेगी। इस प्रकार बिहार के 441.61 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय में केन्द्र का अंशदान 76.5 प्रतिशत होगा। ऐसा पिछड़े क्षेत्रों तथा राज्यों सम्बन्धी राष्ट्रीय विकास बोर्ड द्वारा अपनाये गये फार्मूले के कारण ही हुआ है।

मैं माननीय सदस्यों से इस बात पर सहमत हूं कि बिहार से गरीबी दूर की जानी चाहिए। मेरे विचार में इस योजना के आधार पर हम ऐसा करने में सफल हो सकेंगे।

जहां तक राष्ट्रपति शासन के हटाये जाने का सम्बन्ध है इसका हल वहां के विधायकों के हाथ में है।

यदि भ्रष्टाचार का कोई मामला सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो सरकार उसकी अवश्य जांच करेगी । ये मांगें बहुत सीमित हैं । और मुझे यह आशा है कि सभा इनको पास कर देगी ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1969-70 के लिये अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें (बिहार) मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं

The following demands for Supplementary Grants for the year 1969-70 (Bihar) were put and adopted

मांग संख्या	मांग का नाम		मांग की राशि
			रुपये
2	भू-राजस्व (लैन्ड रेवेन्यू)	...	1,46,000
3	राज्य उत्पाद कर	...	100
4	गाड़ियों पर कर	...	7,300
6	पंजीयन शुल्क (रजिस्ट्रेशन फीस)	...	10,500
9	राज्य विधान-मण्डल	...	19,10,200
10	सामान्य प्रशासन	...	7,80,800
11	न्याय प्रशासन	...	3,50,100
12	कारावास	...	43,00,000
13	आरक्षी (पुलिस)	...	11,04,400
15	वैज्ञानिक विभाग	...	100
16	शिक्षा	...	2,15,93,200
17	चिकित्सा	...	9,11,400
18	जन-स्वास्थ्य	...	12,37,800
19	कृषि	...	7,73,200
20	पशुपालन	...	2,200
21	सहकारिता	...	1,27,000
22	उद्योग	...	2,50,300
25	विविध सामाजिक एवं विकास संगठन (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों तथा पिछड़ी जातियों का कल्याण)	...	700

मांग संख्या	मांग का नाम		मांग की राशि
			रुपये
28	बहुधंधी नदी योजना सहित सिंचाई	...	36,00
30	लोक-निर्माण		1,10,02,600
31	लोक-निर्माण-स्थापना	...	8,41,800
32	अकाल साहाय्य		53,00,000
35	वेन	...	3,41,800
36	विविध (ग्राम पंचायत)		88,300
37	विविध	...	7,38,800
38	विविध (जन-सम्पर्क विभाग)	...	2,19,600
39	विविध (विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय)	...	8,90,500
40	विविध (नागरिक-सुरक्षा)	...	25,500
42	औद्योगिक विकास पर पूंजी उद्व्यय	...	39,54,000
43	अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी उद्व्यय	...	30,00,000
46	राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	...	1,15,39,800

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार, 22 दिसम्बर, 1969/1 पौष, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 22, 1969/Pausa 1, 1891 (Saka).

Tej KumarPress, Lucknow. 21-3-70—340